कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/आवंटन/2015/1802–5/3149 दिनांक 26 अगस्त, 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री कैलाश चन्द्र मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 5 अगस्त, 2016 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 27 जून, 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक 27 जून, 2016 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 27 जून, 2016 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 27 जून, 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: गैंगमैंन का पदनाम सहायक कर्मचारी करने के संबंध में।

श्री प्रमोद कुमार चौहान, अध्यक्ष (जे.डी.ए.) श्रमिक कर्मचारी संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य सरकार द्वारा गैंगमैंन प्रथा समाप्त कर दी गई, परन्तु प्राधिकरण में आज भी गैंगमैंन के रूप में कार्यरत् है। आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में गैंगमैंन को सहायक कर्मचारी के पदनाम से पद परिवर्तन करवाने का निवेदन किया है।

अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण श्रमिक कर्मचारी संघ द्वारा इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को पत्र प्रेषित करने पर उनके द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प. 1 (14) नविवि/II/2009 दिनांक 3 जुलाई, 2014 द्वारा प्राधिकरण स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये।

कर्मचारी संघ द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प. 26 (34) जविप्रा/संस्था/92/ पार्ट दिनांक 2 दिसम्बर, 2006 की छाया प्रति संलग्न की है। जिसमें कार्यकारी समिति की 107वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के एजेण्डा आईटम क्रमांक 107.5 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में नियम बेलदारों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ अभि. हैल्प/वायरमैन हेल्पद के पद में नियमितिकरण तिथि से पद परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख किया है।

26.8.16

अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से संपूर्ण तथ्य सहित प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: विज्ञान नगर भूखण्ड संख्या बी–180

प्राधिकरण की आवासीय योजना में श्री अभय रावत द्वारा आवेदन किया गया था तथा लॉटरी द्वारा प्रार्थी को विज्ञान नगर में भूखण्ड संख्या बी–180 (15 गुणा 30) का आवंटन हुआ है। प्रार्थी से कमी पूर्ति हेतु मूल निवास, आय प्रमाण–पत्र एवं राज्य सरकार होने का प्रमाण–पत्र मंगवाने हेतु पत्र लिखा गया था।

प्रार्थी द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक पद पर (ऑन प्रोबेशन) कार्यरत् है। अतः 2 वर्ष के परीवीक्षा काल को राज्य कर्मचारी की श्रेणी माना जावे अथवा नहीं? प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नियमित रूप से नियुक्त प्रशिक्षु कर्मचारी / अधिकारी को राज्य कर्मचारी की श्रेणी माने जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम पंचायत दईकडा खसरा नम्बर 205 में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन बाबत।

सहायक अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मण्डोर द्वारा नवीन आवंटन नीति, 2015 के तहत प्रपत्र "स" एवं परिशिष्ट–1 भरकर प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचाई दईकडा खसरा संख्या 205 में 2 बीघा भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण की मौका रिपोर्ट पटवारी प्राप्त करने पर ग्राम दईकडा के खसरा नम्बर 205/ मीन रकबा 11–08 बीघा है भूमि किस्म गैर मुमकिन गौचर है तथा प्राधिकरण के नामं दर्ज है। मौके पर उक्त खसरे की भूमि रिक्त पडी है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम दईकडा खसरा नमबर 205 जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में भू उपयोगब अरबन एरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है। प्रकरण दईकडा गांव की आबादी से लगता हुआ बताया है। 72 ग्रामों की सूची से बाहर है।

गौचर भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार से पत्र प्राप्त हुआ कि गौचर भूमि हेतु स्थगन होने से अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाने का निर्देश है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

26.8.16

प्रस्ताव संख्या 5 :: प्राधिकरण की नवीन योजना विज्ञान नगर, मण्डलनाथ एवं अरणा विहार योजना के आवंटियों द्वारा 2 योजना में आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की नवीन आवासीय योजना में आवेदक द्वारा आवेदन किया गया हो आवेदक द्वारा विज्ञान नगर एवं मण्डल नाथ आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन होकर दोनों योजनाओं में आवंटित भूखण्डों का आवंटन पत्र जारी हो चुके है। अतः आवंटी द्वारा एक योजना का आवंटन पत्र रखा गया तथा दूसरी योजना का आवंटन निरस्त कर जमा अमानत राशि पुनः लौटाने की मांग की गई है। अतः उपरोक्त प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट 3 बिन्दु पर ली गयी।

1— संपूर्ण पंजीकरण राशि जब्त की जानी है
2— आंशिक पंजीकरण राशि जब्त की जानी है
3— संपूर्ण पंजीकरण

जिस पर विधि शाखा की रिपोर्ट प्राप्त कर पर बताया कि लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने पर 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि पुनः लौटाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त प्रकरणों में विधि सहायक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि संपूर्ण जमा राशि मेरे मत से जब्त की जानी उचित बताया है। फिर भी आवेदन पुस्तिका में इस बाबत स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश नहीं होने से प्रकरण कार्यकारी समिति में रखकर जाकर निर्णय किया जावे। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विज्ञान नगर एवं मण्डल नाथ आवासीय योजना की लॉटरी लगभग एक माह के अन्तराल में निकली थी एवं इनके आवेदन–पत्र करीब करीब साथ साथ आमंत्रित किये गये थे। ऐसी परिस्थिति में इस बात की पूरी संभावना थी कि कोई भी आवेदक दोनों योजनाओं में आवेदन कर दें और फलस्वरूप दोनों योजनाओं में आवंटन भी संभव था। अतः प्रकरण विशेष में यदि एक योजना में आवंटन हो गया है एवं दूसरी योजना में भी आवंटन होने से आवेदक अपना आवेदन विड्रा (वापस लेना) चाहता है तो 5 प्रतिशत धरोहर राशि काटी जाकर शेष राशि लौटा दी जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: श्रीमती भंवरी देवी /ओमप्रकाश भूखण्ड संख्या सी–77 अरणा विहार योजना बाबत।

प्रार्थीनी श्रीमती भंवरी देवी द्वारा अरणा विहार योजना में अल्प आय वर्ग में आवेदन किया गया था। प्रार्थीनी ने आवेदन पत्र इण्डसण्ड बैंक में जमा कराया था। बैंक द्वारा आवेदन प्राधिकरण कार्यालय में भिजवाया गया था। प्राधिकरण द्वारा बैंक से प्राप्त आवेदन पत्र को जांच करवाया गया था।

प्रार्थीनी की जाति प्रजापत है जबकि प्रार्थीनी के आवेदन पत्र में अनुसूचित जनजाति के वर्ग प्रकोष्ठ में टिक (√) किया हुआ है। अतः प्रजापत जाति अनुसूचित जनजाति नहीं है। जबकि लॉटरी में प्रार्थीनी को अनुसूचित जाति वर्ग में भूखण्ड संख्या सी–77 अरणा विहार में आवंटन हो गया था। अतः प्रार्थीनी को गलत सूचना के आधार पर भूखण्ड निरस्त किया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रार्थीनी को गलत वर्ग में लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया तथा प्रार्थीनी की जमा अमानत राशि 10,000/– रूपये जब्त करने का आदेश दिया गया।

प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरक्षित श्रेणी में वर्ग में आवेदन पत्र में प्रकोष्ठ में टिक (√) विभागीय गलती से किया गया है। प्रार्थीनी की कोई गलती नहीं

है। इसमें निवेदन है कि आवेदन पत्र बैंक में जमा हुए थे तथा बैंक से प्राप्त आवेदन पत्र की जांच करवाई गई थी जिसमें भी आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी के वर्ग में अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ में टिक (√) किया हुआ था। अतः विभागीय गलती नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा आवेदन पत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में टिक (√) किया गया है जबकि प्राधिकरण द्वारा लॉटरी अनुसूचित जाति वर्ग में भूखण्ड आवंटन हुआ है। अतः प्रार्थीनी द्वारा जमा अमानत राशि पुनः लौटाने की मांग की है। प्रार्थीनी ओबीसी वर्ग (प्रजापत) का आवेदन किया गया था एवं प्रार्थीनी को आवंटित भूखण्ड निरस्त कर अमानत राशि जब्त करने का आदेश दिया गया है जबकि प्राधिकरण द्वारा लॉटरी में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थीनी द्वारा अमानत राशि पुनः लौटाने की मांग की है। प्रार्थीनी को जमा अमानत राशि पुनः लौटायी जावे अथवा नहीं? अतः प्रकरण निणयार्थ हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक श्रीमती भॅवरी देवी ने अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में होने के बाद भी अनुसूचित जन जाति वर्ग में निशान लगाया है जो कि मूलतः त्रुटि की गयी है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीनी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है लिहाजा 10,000/– रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) की जमा अमानत राशि विधिवत् जब्त रखी जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भूखण्ड संख्या 180 खसरा संख्या 115 ग्राम चौपासनी के संबंध में।

प्रकरण संख्या 655/02 के द्वारा श्रीमती मजूला सक्सेना पत्नी श्री मनोज सक्सेना द्वारा आवेदन कर उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने का निवेदन किया गया था। जिसमे पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड संख्या 180 खसरा संख्या 115 ग्राम चौपासनी बनाप 266.66 वर्गगज होना बताया गया। जिसके अनुसार राशि की गणना कर राशि जमा करवायी गई। बाद पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही की गई। जिसमे पट्टा जारी करते समय 200 वर्गगज नाप अंकित कर पट्टा एवं साईट प्लान जारी किया गया।

प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 22/02/2016 का प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 180 का पट्टा विलेख स्वीकृत ले–आउट प्लान अनुसार 266.66 वर्गगज का जारी करने का निवेदन किया गया है। उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण के जारी पट्टे मे कांट छांट होने के कारण नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 27/04/2007 के द्वारा लिखा जाकर उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण जोधपुर से उक्त भूखण्ड की मूल पत्रावली मंगवाई गई। जिसमे भूखण्ड संख्या 180 खसरा संख्या 115 ग्राम चौपासनी मे उपखण्ड अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण जोधपुर कार्यालय से दिनांक 31/07/1990 पट्टा विलेख श्रीमती मंजूला सक्सेना पत्नी श्री मनोज कुमार सक्सेना के नाम से बनाप 266.66 वर्गगज का जारी किया गया था। जिसमें मूल जमा रसीद संलग्न है। जिसमे भी 266.66 वर्गगज की राशि जमा होना पाया गया है।

वर्तमान मे पटवारी पश्चिम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से उक्त भूखण्ड संख्या 180 की रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी रिपोर्ट मे भूखण्ड संख्या 180 बनाप 40 गुणा 60 = 266. 66 वर्गगज पर मकान निर्मित होना बताया गया है एवं स्वीकृत ले–आउट प्लान मे भी उक्त भूखण्ड 40 गुणा 60 = 266.66 वर्गगज होना बताया है। नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 22/01/2008 को जारी पट्टा विलेख त्रुटिवंश 200 वर्गगज का जारी किया गया है। अतः उक्त भूखण्ड संख्या 180 बनाम 200 वर्गगज का जारी पट्टा विलेख को दुरस्तीकरण करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित आदेशार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

26.8.16

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त–पश्चिम ने अवगत कराया कि खसरा संख्या 115 ग्राम चौपासनी का ले–आऊट प्लान अनुमोदित है एवं बैठक में हस्ताक्षरसुदा ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किया गया। जिसके अवलोकन से जाहिर है कि श्रीमती मंजूला सक्सैना के द्वारा धारित भूखण्ड संख्या 180 माप 40 फीट गुणा 60 फीट अर्थात् 266.66 वर्ग गज का है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि श्रीमती मंजूला सक्सैना ने जरिये रजिस्ट्री अधिकार भी 266.66 वर्ग गज का है एवं इनको उपखण्ड अधिकारी, भूमि रूपान्तरण द्वारा जो पट्टा दिनांक 31 जुलाई, 1990 को जारी किया गया था उसमें पट्टे के मुख्य पृष्ठ पर 266 वर्ग गज को "ओवर राईटिंग" करके 200 वर्ग गज अंकित करना प्रतीत होता है परन्तु मूल पट्टे के पृष्ठ में साईज 40 फीट गुणा 60 फीट अंकित की गयी है। ऐसी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 180 का संशोधित शुद्धि–पत्र/लीज डीड 266.66 वर्ग गज का जारी किया जावे एवं इस हेतु 66.66 वर्ग गज भूमि की नियमन राशि वर्तमान दर से जमा की जावे। शुद्धि–पत्र/लीज डीड जारी करने से पूर्व उपायुक्त–पश्चिम मौका रिपोर्ट के द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि बढ़े हुए क्षैत्रफल से पडौस के प्लाट अथवा भूखण्ड के सामने स्थित सडक जो ले–आऊट प्लान में दर्शायी गयी है, की चौड़ाई प्रभावित नहीं होती है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अन्तर्गत सर्वे कम्पनियों द्वारा खसरों के किये गये भौतिक सर्वे कार्य के भुगतान के संबंध में।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के तहत दिनांक 17/06/1999 से पूर्व बसी कॉलोनी एवं जिन खसरों का सम्पूर्ण प्लान उपलब्ध नही होने के कारण राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन, राजस्थान सरकार के पत्र प. 10(228) नविवि/3/10 दिनांक 04/05/2011 के क्रम में श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के आदेश एस.पीए./आयुक्त/2011/1665–67 दिनांक 10/06/2011 के आदेशानुसार जोन उपायुक्त द्वारा दिये गये आदेशों की पालना मे निम्नलिखित सर्वे कम्पनियों द्वारा खसरों का भौतिक सर्वे के आधार पर सर्वे किया गया था। जिसका विवरण संलग्न निम्नानुसार है –

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	बिल के अनुसार भुगतान योग्य	भुगतान किया	बकाया राशि
1	M/s Sansirishti Infa Desgns Pvt. Ltd. Jaipur	12,65,560.80/–	4,66,726/–	7,98,834.80/–
2	M/s Sidhu Servey Service Jodhpur	29,64,078/–	28,61,982/–	1,02,096/–
3	M/s Hema ram & company Jodhpur	3,31,904/–	———	3,31,904/–
4	M/s Infratech services Pvt. Ltd.	3,30,501/–	———	3,30,501/–
5	M/s Sidhu Survey Service Jodhpur	1,03,152/–	———	1,03,152/–

उपरोक्त वर्णित बिलों के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा बार बार कार्यालय मे उपस्थित होकर एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बिलों का भुगतान करने का निवेदन किया जा रहा है। उपरोक्त बिलों की राशि का भुगतान करने से पूर्व लेखा शाखा/रोकड शाखा द्वारा प्रशासनिक

26.8.16

व वित्तीय स्वीकृति जारी की जाने के पश्चात् बिलों भुगतान किया जाना है। अतः बिलों के भुगतान के सम्बन्ध मे प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णियार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण में Post Facto प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की मांग की गयी है। अतः उक्त प्रकरण को वित्त शाखा से परीक्षण करवा लिया जावे और उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही/स्वीकृति के लिए प्रकरण पुनः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: श्री धन्नाभगत महाराज एवं श्री वीर तेजाजी सेवा संस्थान शिव गांव भाकर ग्राम पंचायत कालीजाल, तहसीज लूणी, जिला जोधपुर के खसरा न. 311 गै.मु. भाकर में से 30 बीघा भूमि उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय हेतु डीएलसी दर पर भूमि आवंटन करने बाबत्। (जोन– दक्षिण)

विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र कमांक अ.शा.टीप कमांक मु.म. /विशेषाधिकारी (एस)/प.–1 नविवि/जोध./15/28287 दिनांक 24.6.2015 की पालना में संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र कमांक प.1 (43) नविवि/जोधपुर/2015 जयपुर दिनांक 31.8.2015 के द्वारा श्री धन्नाभगत महाराज एवं श्री वीर तेजाजी सेवा संस्थान द्वारा आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत प्रपत्र 'अ' एवं परिशिष्ट–'1' एंव राशि 5,000/– का डीमाण्ड ड्राफ्ट पेश कर शिवगांव भाखर ग्राम पंचायत कालीजाल तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नं. 311 रकबा 213.19 बीघा किस्म गैर मुमकिन भाखर में से 30 बीघा भूमि उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय हेतु डीएलसी दर पर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

संस्था द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र कमांक प.12(3–315) राज. /आव/08/7449 दिनांक 22.8.2008 का आदेश पेश कर अवगत कराया कि संस्था को पूर्व में ग्राम शिव के खसरा नं. 311 रकबा 213.19 बीघा किस्म गैर मुमकिन भाखर में से 10 बीघा भूमि संस्थान को सामाजिक उत्थान एवं विकास कार्य हेतु भवन व वृक्ष रोपण इत्यादि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई है।

तहसीलदार (दक्षिण) व पटवारी (दक्षिण) की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिवगांव के खसरा नं. 311/3 रकबा 10 बीघा भूमि पूर्व में संस्था को आवंटित है। मौके पर उक्त भूमि में मन्दिर, विश्राम गृह, वृक्षा रोपण किया हुआ है। उक्त आवंटित भूमि पर संस्था का कब्जा है, एवं उपयोग में ली जा रही है। इसी खसरे में राजकीय विधालय के पास बालिका विधालय हेतु 30 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु चाही गई है, जो मौके पर खाली है। प्रस्तावित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिकमण नही पाया गया है। राजस्व रिकोर्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। भूमि गैर मुमकिन भाखर किस्म की है।

निदेशक (आयोजना) की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित स्थल खसरा संख्या 311/3 जोधपुर मास्टर प्लान में भू–उपयोग अरबन एरिया से बाहर ग्रामिण में स्थित है, भू–उपयोग निर्धारित नही है, एवं जेडीए जोन रिजन में संबंधित गांवों की सूची में है।

अपर जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र कमांक राजस्व/2016/4370 दिनांक 11.7.2016 के द्वारा अवगत कराया कि उपरोक्त संस्थान को एक एकड भूमि डीएलसी की 50 प्रतिशत की

26.8.16

दर से एवं शेष 7.10 बीघा भूमि डीएलसी दर 7600/– रू. प्रति बीघा की दर से भूमि आवंटित की गई थी।

राज्य सरकार की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 6.3, 6.4 व 6.5 में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कही पर भी आवंटन हुआ है, तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात ही दुसरा आवंटन किया जावें एवं संस्था को जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई है, उसके अतिरिक्त उक्त भूमि का कोई अन्य उपयोग नही किया जावें। यदि भूमि का अन्य उपयोग पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, आदि शर्तो का प्रावधान अंकित है। माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु संभागीय मुख्यालय को छोडकर अन्यत्र अधिकतम 6,000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल का मापदण्ड निर्धारित है, जबकि संस्था द्वारा 30 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है। अतः प्राधिकरण की स्पष्ट अभिशंषा हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की नवीन आवंटन नीति–2015 के क्रम में 6000 वर्ग मीटर तक के क्षैत्रफल के मापदण्ड के अनुरूप प्रकरण नियमानुसार तैयार कर राज्य सरकार को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर नव निर्माण शिक्षण समिति, जोधपुर को महाविद्यालय निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(116) नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 25.4.2016 की पालना में अध्यक्ष, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर नव निर्माण शिक्षण समिति, द्वारा दिनांक 26.9.2015 को राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति–2015 में अंकित प्रावधानों के अंतर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'अ' एवं परिशिष्ट–'1' में आवेदन पेश कर गांव भाण्डु खुर्द के खसरा संख्या 28 रकबा 61.16 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ में से 5 बीघा भूमि महाविद्यालय निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने की मांग की गई है।

समिति द्वारा प्रपत्र 'अ' के साथ परियोजना रिपोर्ट, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, नव निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची, संस्था का स्मरण पत्र, विधान नियमावली, गत 3 वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स सीट, प्रस्ताव की प्रति–जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, राशि 5,000/– (पंजाब नेशनल बैंक, एयरफोर्स, जोधपुर डीडी क्रमांक 422231 दिनांक 31.5.2016) आदि दस्तावेज पेश किये गये है। प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 329 दिनांक 28.6.2016 के द्वारा पेश किये गये दस्तावेज विभाग की वेबसाइट पर न्यूनतम 15 दिवस हेतु अपलोड किये जा चुके है।

भूमि उपलब्धता के संबंध में, तहसीलदार (दक्षिण) व पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार, समिति द्वारा चाही गई भूमि का मौका ग्राम भाण्डु खुर्द का खसरा नं. 28 रकबा 61.16 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व रिकोर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होना पाया गया। भूमि मौके पर खाली है।

26.8.16

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार, राजस्व ग्राम भाण्डु खुर्द के खसरा नं. 28 जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में भू–उपयोग अरबन एरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है। अतः भू–उपयोग निर्धारित नही है।

नवीन आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत महाविद्यालय(सामान्य तकनिकी, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा, आई.टी.आई. सहित) हेतु संभागीय मुख्यालय को छोडकर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल 13,000 वर्गमीटर (अनुमानित 8 बीघा) तक भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल के मापदण्ड निर्धारित है। समिति द्वारा 5 बीघा भूमि महाविद्यालय प्रयोजनार्थ आवंटन करने की मांग की गई है। अतः प्राधिकरण की स्पष्ट अभिषंशा हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नवीन आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत समिति द्वारा मांग की गयी 5 बीघा भूमि जो कि अधिकतम संभावित आवंटित क्षेत्रफल लगभग 8 बीघा से कम है, का प्रकरण नियमानुसार तैयार कर प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: अवार्ड संख्या 209 खसरा संख्या 303 रकबा 5090 वर्ग गज ग्राम कुडी भगतासनी अवार्डी श्री बसन्त पारख पुत्र श्री पारसमल एवं गीता पत्नि श्री बसंत पारख के संबंध में।

अवार्ड सं. 209 खसरा सं. 303 रकबा 500 वर्गगज ग्राम कुड़ी भगतासनी अवार्डी श्री बंसत पारख पुत्र श्री पारसमल एवं गीता पत्नी श्री बंसत पारख के नाम दर्ज है। अवार्डी ने जरिये पंजीकृत बेचाननामें के उक्त भूमि सूरजाराम पुत्र धारूराम से क्रय की है। अवार्डी को आरक्षण पत्र जारी है। एवं अवाप्त की गई भूमि में मुआवजे हेतु विकसित भूखण्डों का आवंटन किया गया। जिसमें निम्नलिखित भूखण्ड ए–190 रकबा 50.00 वर्गगज ई–149 रकबा 350 वर्गगज एवं आई–212 रकबा 88.88 वर्गगज है। अवार्डी द्वारा एक आपत्ति दर्ज की गई जिसके अनुसार सेक्टर ए के भूखण्डों के अवाप्त भूमि को उसी सेक्टर में 100 मीटर के दायरे में पूर्ण विकसित भूखण्डों के रूप में किया जाना निर्देशित है। इस संबंध में एक याचिका 5367/13 माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी हैं जो अभी लम्बित है। प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह राजवी ने अपनी मौखिक राय दी कि रिट याचिका में प्राधिकरण की ओर से समुचित जवाब नहीं बन रहा है। जब प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी बैठक दिनांक 27 मई 2011 के प्रस्ताव सं. 03 द्वारा यह निर्णय किया गया कि मुआवजे के बदले भूखण्ड यथासंभव अवाप्त सुदा भूखण्ड के लगभग 100 मीटर की परिधि में उपलब्ध कराये जायेंगे। तो फिर प्रार्थी को अलग–अलग जगह पर भूमि आंवटन का क्या औचित्य है। जबकि सेक्टर ए में भूमि रिक्त उपलब्ध है। अतः आवदेक को सेक्टर ए में ही रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है ताकि माननीय उच्च न्यायालय की किसी विपरित टिप्पणी का सामना नहीं करना पड़े। अतः प्रकरण से संबंधित पत्रावली कार्यकारी बैठक के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री बसन्त पारख को 3 अलग अलग भूखण्ड विवेक विहार योजना के सेक्टर–ए, सेक्टर–ई एवं सेक्टर–आई में आवंटित किये गये है। आवेदक मूल रूप से अवार्डी था। अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25 मई, 2011 के प्रस्ताव संख्या 3 के कम में पूर्व में आवंटित तीनों भूखण्डों को निरस्त करते हुए सेक्टर ए में एक भूखण्ड अपेक्षित माप का आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: विवेक विहार योजना में भिन्न सेक्टर में भूखण्ड आवंटन बाबत।

26.8.16

अवार्ड में आंवटित भूखण्ड संख्या सूची अनुसार 08.09.2011 को अवार्ड में आवंटन किये गये थे। सेक्टर भिन्न होने के कारण अवार्डियों के प्रार्थना पत्र व मांग पर आवटित भूखण्ड संख्या उक्त अवार्ड के सेक्टर में नहीं होने के कारण लॉटरी द्वारा दिनांक 22.03.2012 को सेक्टर ए में देने के कारण व दिनांक 08.09.2011 को आवंटित भूखण्ड निरस्त नहीं करने के कारण उक्त अवार्ड में आंवटित भूखण्ड का अवार्ड से अधिक क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटित हो जाने के कारण व 08.09.2011 को आंवटित भूखण्ड अन्य अवार्डियों को आवंटन होने के कारण लॉटरी सूची अनुसार दोहरा आवंटन है। अतः एक ही भूखण्ड संख्या दो अवार्डों में होने के कारण कुल दोहरा आवंटित भूखण्डों में से 26 भूखण्डों की सूची प्रस्तुत है। जिनमें अवार्डियों की मांग पर अन्य भूखण्ड आंवटित किये जा चुके है। निरस्त हेतु प्रस्तावित भूखण्ड रिक्त है। अतः दोहरा आवंटन होने के कारण निरस्तीकरण हेतु कार्यकारी बैठक के समक्ष पेश है।

क्र.स.	भूखण्ड संख्या व सेक्टर	अवार्ड सं. जिनमें दोहरा आंवटन		अवार्ड संख्या जिसमें निरस्त हेतु प्रस्तावित	विशेष विवरण
1	A-24	185–कुड़ी	228–कुड़ी	185 कुड़ी भगतासनी	
2	A-46	174–कुडी	241–42 / 55 कुड़ी	174–कुडी	
3	A-127	171–कुड़ी	216–कुड़ी	171 कुड़ी भगतासनी	
4	A-559	243 / 29 / 2–कुड़ी	243 / 25–कुड़ी	243 / 25–कुड़ी भगतासनी	
5	A-563	191–कुड़ी	243 / 29 / 2–कुड़ी	191–कुड़ी भगतासनी	
6	A-585	185–कुड़ी	243 / 14 –कुड़ी	185–कुड़ी भगतासनी	
7	A-615	191–कुड़ी	196–कुड़ी	191–कुड़ी भगतासनी	
8	A-628	243 / 14 कुड़ी	241–42 / 34 / 1 कुड़ी	243 / 14 कुड़ी भगतासनी	
9	B-1129	197–कुड़ी	04–कुड़ी	197–कुड़ी भगतासनी	
10	E-165	216–कुड़ी	105–कुड़ी	216–कुड़ी भगतासनी	
11	G-211	195–कुड़ी	266–सांगरिया	195–कुड़ी भगतासनी	
12	G-219	198–कुड़ी	16–सांगरिया	198–कुड़ी भगतासनी	
13	H-09	191–कुड़ी	418–सांगरिया	191–कुड़ी भगतासनी	
14	H-39	73–सांगरिया	226–कुड़ी	226–कुड़ी भगतासनी	
15	H-604	174–कुड़ी	221–सांगरिया	174–कुड़ी भगतासनी	
16	H-626	166–कुड़ी	339–सांगरिया	166–कुड़ी भगतासनी	
17	H-718	199–कुड़ी	586–सांगरिया	199–कुड़ी भगतासनी	
18	H-803	170–कुड़ी	656–सांगरिया	170–कुड़ी भगतासनी	
19	H-939	164–कुड़ी	120–सांगरिया	164–कुड़ी भगतासनी	
20	L-198	191–कुड़ी	400–सांगरिया	191–कुड़ी भगतासनी	
21	L-374	230–कुड़ी	03–सांगरिया	230–कुड़ी भगतासनी	
22	N-198	195–कुड़ी	09–सांगरिया	195–कुड़ी भगतसनी	
23	N-717	243 / 14–कुड़ी	545–सांगरिया	243 / 14–कुड़ी भगतासनी	
24	O-520	226–कुड़ी	645–सांगरिया	226–कुड़ी भगतासनी	
25	O-560	216–कुड़ी	611–सांगरिया	216–कुड़ी भगतासनी	
26	O-633	198–कुड़ी	107–कुड़ी	198–कुड़ी भगतासनी	

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–पश्चिम द्वारा प्रस्तावित कम संख्या 1 से 26 तक कॉलम संख्या 4 में अंकित अवार्ड के भूखण्ड आवंटन निरस्त किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री राजकुमार मीणा को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एल–389 के संबंध में।

प्रार्थी श्री राजकुमार मीणा पुत्र श्री प्रकाश नारायण मीणा को विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या एल–369 आवंटित हुआ था। प्रार्थी ने मूल आवंटन पत्र जारी दिनांक 12.04.2012 से 494 दिवस के विलम्ब से राशि दिनांक 19.08.2013 को जमा करवाई है, परन्तु दिनांक 12.04.2012 का जारी आवंटन पत्र डिसपैच शाखा द्वारा डाक से भेजा जाना प्रमाणित नहीं है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2013 को आवंटन पत्र दिनांक 12.04.2012 की प्रमाणित प्रति प्राधिकरण से प्राप्त कर 13 दिवस बाद रसीद संख्या 9001/86647 दिनांक 19.08.2013 को राशि जमा करवा दी है। कार्यालय आदेश कं. 2914 दिनांक 19.08.2013 के निर्देशानुसार दिनांक 15.10.2013 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा दे दिया था। अत: प्रार्थी को आवंटन पत्र प्राप्त नहीं होना मानने पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में उपरोक्त प्रकरण के संबंध में निदेशक–विधि से विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी को दिनांक 6 अगस्त, 2013 को आवंटन–पत्र प्राप्त हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनांक 6 अगस्त, 2013 की तिथि को ही स्वीकार करते हुए भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियमों के तहत अग्रिम कार्यवाही करने के लिए संबंधित उपायुक्त को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या के–563 के संबंध में।

प्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह गढवाल को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 20.08.2011 को भूखण्ड संख्या के–563 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 1996 दिनांक 13.04.2012 जारी किया गया था। प्रार्थी ने दिनांक 09.05.2012 को भूखण्ड की राशि रसीद सं. 9001/46859 दिनांक 09.05.2012 रू.63025/– जमा करवा दिये। कार्यालय आदेश कं. 772 दिनांक 12.06.2012 के निर्देशानुसार दिनांक 29.05.2013 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा कर लिया था। प्रार्थी प्रोबेशनर को राज्य कार्मिक मानकर आवंटन दिया जाना प्रस्तावित है । पूर्व में EC बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 31.07.2014 में बिन्दु सं.5 कमांक संख्या 15 व 16 में ऐसे ही दो प्रकरणों में निर्णय लिया गया है । किन्तु प्रार्थी का प्रकरण EC बैठक में नहीं रखा गया। अत: प्रार्थी को आवंटन बहाल मानने या न मानने पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारी/ कर्मचारी को राज्य कर्मचारी माना जावे एवं नियमानुसार भूखण्ड का आवंटन बहाल रखा जावे।

26.8.16

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री आसूराम को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एन–917 के संबंध में।

प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री आसूराम को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या एन–916 आवंटित किया गया था। प्रार्थी श्री दिनेश कुमार का आवंटन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया गया था । प्रार्थी आवंटन के समय प्रोबेशनर काल में था । पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 31.07.2014 में बिन्दु सं.5 कमांक संख्या 15 व 16 में ऐसे ही दो प्रकरणों में निर्णय लिया गया है । किन्तु प्रार्थी का कार्यकारी समिति की बैठक में नहीं रखा गया । प्रार्थी को राज्य कार्मिक मानकर आवंटन दिया जाना प्रस्तावित है । अत: प्रार्थी को आवंटन बहाल मानने या न मानने पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से नियुक्त प्रशिक्षु अधिकारी / कर्मचारी को राज्य कर्मचारी माना जावे एवं नियमानुसार भूखण्ड का आवंटन बहाल रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री शिवदानसिंह को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या के–360 के संबंध में।

प्रार्थी श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री शिवदानसिंह को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या के–360 आवंटित किया गया। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ स्वंय का आय प्रमाण पत्र राशि. रू.19777/– पेश किया था। प्रार्थी को सकल आय प्रमाण पत्र हेतु पत्र कमांक 253 दिनांक 10.05.2013 लिखा गया था। जिसे प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.12.2014 को सकल आय प्रमाण पत्र राशि रू.20000/– प्रस्तुत किया गया था। इन कारणों से प्रार्थी को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया जा सका। अत: प्रकरण आवंटन पत्र जारी करने एवं न करने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त प्रकरण में जोधपुर विकास प्रधिकरण व प्रार्थी के बीच सकल आय प्रमाण–पत्र करने के लिए पत्र जारी होता रहा इस कारण आवंटन–पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित के आधार पर विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या के–360 का जो भी मूल्य नियमानुसार बनता है, वह प्राप्त कर आवंटन–पत्र जारी किया जावे एवं अनावश्यक पत्राचार एवं विलम्ब के लिए दोषी कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 17 :: श्री मिठूसिंह पुत्र श्री रूपसिंह को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या के–443 के संबंध में।

प्रार्थी श्री मिठूसिंह पुत्र श्री रूपसिंह को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या के–443 आवंटित किया गया। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ स्वंय का आय प्रमाण पत्र राशि. रू.23481/– पेश किया था। प्रार्थी को सकल आय प्रमाण पत्र हेतु पत्र कमांक 1571 दिनांक 26.04.2012 लिखा गया था। जिसे प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.12.2014 को

26.8.16

प्रस्तुत हो आवेदन पत्र के साथ ही सकल आय प्रमाण पत्र राशि रू.23481/– बताया गया था। जिसकी पुष्ठि की जा चुकी है।इन कारणों से प्रार्थी को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया जा सका। अतः प्रकरण आवंटन पत्र जारी करने एवं न करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण व प्रार्थी के बीच सकल आय प्रमाण–पत्र करने के लिए पत्र जारी होता रहा इस कारण आवंटन–पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित के आधार पर विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या के–360 का जो भी मूल्य नियमानुसार बनता है, वह प्राप्त कर आवंटन–पत्र जारी किया जावे एवं अनावश्यक पत्राचार एवं विलम्ब के लिए दोषी कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 18 :: श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री दुर्गाराम को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एच–555 के संबंध में।

प्रार्थी श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री दुर्गाराम को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 20.09.2011 को भूखण्ड संख्या एच–555 आवंटित किया गया। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ स्वयं की आय राशि रू.15500/–का प्रमाण पत्र पेश किया था। प्रार्थी को सकल आय प्रमाण पत्र हेतु पत्र कमांक 1544 दिनांक 26.04.2012 लिखा गया था। जिसे प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2012 को सकल आय प्रमाण प्रमाण पत्र कमांक 4871 दिनांक 13.06.2012 कार्यालय तहसीलदार, बिलाडा द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र राशि रू.186000.00 वार्षिक प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या एच–555 आय वर्ग 15001.00 से 30000.00 प्रतिमाह की श्रेणी में आता है। इन कारणों से प्रार्थी को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया जा सका। अतः प्रकरण आवंटन पत्र जारी करने एवं न करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण व प्रार्थी के बीच सकल आय प्रमाण–पत्र करने के लिए पत्र जारी होता रहा इस कारण आवंटन–पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित के आधार पर विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या के–360 का जो भी मूल्य नियमानुसार बनता है, वह प्राप्त कर आवंटन–पत्र जारी किया जावे एवं अनावश्यक पत्राचार एवं विलम्ब के लिए दोषी कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही उपायुक्त–दक्षिण यह भी सुनिश्चित करें कि आवदेक उसी आय वर्ग में आता है जिसमें उसको भूखण्ड आवंटन किया हुआ था।

प्रस्ताव संख्या 19 :: श्रीमती गुड्डी मीणा पत्नि श्री रमेशचन्द्र मीणा को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या जे–122 के संबंध में।

प्रार्थी श्रीमति गुडडी मीणा पत्नि श्री रमेशचन्द्र मीणा को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या जे–122 आवंटित किया गया। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ स्वंय का आय प्रमाण पत्र राशि. रू.31500/– पेश किया था। प्रार्थी को सकल आय प्रमाण पत्र हेतु पत्र कमांक 1073 दिनांक 19.04.2012 लिखा गया था। जिसे प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.03.2015 को सकल आय प्रमाण पत्र राशि रू.31291/– प्रस्तुत किया गया था। जो कि भूखण्ड आवंटन के आय वर्ग(30001/– से 450000/–) की श्रेणी में है। इन कारणों से प्रार्थी

26.8.16

को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया जा सका। अतः प्रकरण आवंटन पत्र जारी करने एवं न करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण व प्रार्थी के बीच सकल आय प्रमाण–पत्र करने के लिए पत्र जारी होता रहा इस कारण आवंटन–पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित के आधार पर विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या के–360 का जो भी मूल्य नियमानुसार बनता है, वह प्राप्त कर आवंटन–पत्र जारी किया जावे एवं अनावश्यक पत्राचार एवं विलम्ब के लिए दोषी कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 20 :: श्रीमती नन्दा पुत्री श्री हुकमाराम को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एम–273 के संबंध में।

प्रार्थीया श्रीमति नन्दा पुत्री श्री हक्माराम को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या एम–273 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 1724 दिनांक 12.04.2012 जारी किया गया था। आवंटी को मूल आवंटन पत्र डिस्पेच नही किया गया है, जिसकी रिर्पोट डीस्पेच सेक्शन द्वारा ली जा चुकी है। अतः प्रार्थीया को आवंटन पत्र पुनः जारी किया जाना व न किया जाने पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन–पत्र आवंटी को डिस्पेच नहीं किये जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः आवंटन–पत्र नियमानुसार अब डिस्पेच किया जावे एवं उपायुक्त–दक्षिण संबंधित कार्मिक जिसके कारण आवंटी को आवंटन–पत्र नहीं भिजवाया जा सका, के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट मय आरोप–पत्र दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 21 :: श्री तुलसी वजीरानी पुत्र श्री मोती वजीरानी को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एम–67 के संबंध में।

प्रार्थी श्री तुलसी वजीरानी पुत्र श्री मोति वजिरानी को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या एम–67 (139.34 व.मी) आवंटित किया गया था। मौका रिर्पोट अनुसार भूखण्ड 21.96 व.मी. बडा है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड (139.34 व.मी.) की राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण अतिरिक्त माप 21.96 व.मी. का नियमानुसार आवंटन करने एवं दर का निर्धारण करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बढे हुए क्षेत्रफल अर्थात् 21.96 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन आवंटी भूखण्ड संख्या एम–67 को आरक्षित दर की डेढ गुणा दर पर किया जावे।

26.8.16

प्रस्ताव संख्या 22 :: श्रीमति नीलम टाक पत्नि श्री दिलीप टाक को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या सी– 402 के संबंध में।

प्रार्थी श्रीमति नीलम टाक पत्नि श्री दिलीप टाक को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या सी–402(418.06 व.मी) आवंटित किया गया था। मौका रिर्पोट अनुसार भूखण्ड कार्नर है एवं 102.61 व.मी. बडा है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड(418.06 व.मी.) की राशि जमा करवाई जा चुकी है। बैठक कार्यवाही समिति दिनांक 23.04.2012 में कार्नर भूखण्डों हेतु आरक्षित दर से 150% राशि भूखण्ड कीमत के रूप में वसूल करने का निर्णय लिया गया था। अत: प्रकरण अतिरिक्त माप 102.61 व.मी. का आवंटन करने एवं न करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त भूखण्ड संख्या सी–402 कॉनर्रर भूखण्ड है एवं इसमें बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 102.61 वर्ग मीटर है एंव मौके की रिपोर्ट अनुसार उक्त बढ़ी हुई भूमि के माप का स्वतंत्र भूखण्ड बनाया जाना संभव नहीं है। अतः आरक्षित दर के डेढ गुणा दर पर अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवंटन किया जावे। चूंकि अतिरिक्त नाप 100 वर्ग मीटर से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: श्री कुलदीप मेडतिया पुत्र श्री सम्पतसिंह राठौड को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या सी–121 के संबंध में।

प्रार्थी कुलदीप मेडतिया पुत्र श्री सम्पत सिंह राठौड को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या सी–121(418.06 व.मी) आवंटित किया गया था। मौका रिर्पोट अनुसार भूखण्ड कार्नर है एवं 165.35 व.मी. बडा है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड(418.06 व.मी.) की राशि जमा करवाई जा चुकी है। बैठक कार्यवाही समिति दिनांक 23.04.2012 में कार्नर भूखण्डों हेतु आरक्षित दर से 150% राशि भूखण्ड कीमत के रूप में वसूल करने का निर्णय लिया गया था। अत: प्रकरण अतिरिक्त माप 165.35 व.मी. का आवंटन करने एवं न करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त भूखण्ड संख्या सी–121 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 102.61 वर्ग मीटर है एंव मौके की रिपोर्ट अनुसार उक्त बढ़ी हुई भूमि के माप का स्वतंत्र भूखण्ड बनाया जाना संभव नहीं है। अतः आरक्षित दर के डेढ गुणा दर पर अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवंटन किया जावे। चूंकि अतिरिक्त नाप 100 वर्ग मीटर से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्रीमति संगीता पत्नि श्री अरूण कुमार को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या के–75 के संबंध में।

प्रार्थीया श्रीमति संगीता पत्नि श्री अरूण कुमार को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या के–75 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 10.04.2012 को जारी किया गया था। प्रार्थीया ने भूखण्ड की राशि रसीद सं. 9001/86501 दिनांक 14.08.2013 रू. 885810/– जमा करवा दिये थे । कार्यालय आदेश क्रं. 2912 दिनांक 14.08.2013 के निर्देशानुसार दिनांक 14.08.2013 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा दे दिया था। प्रार्थीया का लीज डीड कार्यवाही दौरान भूखण्ड राशि **492 दिवस** पश्चात्

26.8.16

जमा होना पाया गया जिस हेतू ब्याज राशि एवं शास्ती हेतू मांग पत्र दिनांक 07.10.2013 जारी किया गया था, जो जमा नहीं करवाये गये थे।

अत: प्रार्थी को ब्याज राशि व शास्ती वसूल करने व न करने के आदेश हेतु प्रकरण प्रस्तावित हैं । प्रकरण में 90 दिवस पश्चात् जमा भूखण्ड राशि की नियमानुसार कार्यवाही करने व न करने हेतू प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 जून, 2009 में लिये गये निर्णय के अनुसार इस संबंध में उक्त विलम्ब को नियमित करने की अधिकारिता कार्यकारी समिति को होने के फलस्वरूप प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति लेते हुए प्रकरण को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: श्रीमति रितू शर्मा पत्नि श्री गजेन्द्र शर्मा को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एन–608 के संबंध में।

प्रार्थीया श्रीमति रितू शर्मा पत्नि श्री गजेन्द्र शर्मा को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या एन–608 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1532 दिनांक 11.04.2012 को जारी किया गया था। प्रार्थीया ने भूखण्ड की राशि रसीद सं. 9001/6958 दिनांक 15.05.2012 रू. 279909/– जमा करवा दिये। कार्यालय आदेश क्रं. 415 दिनांक 12.06.2012 के निर्देशानुसार दिनांक 18.07.2012 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा दे दिया था। प्रार्थीया ने आवेदन कर लीज डीड की मांग की थी जिसकी कार्यवाही पूर्ण कर तत्कालिन उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक ने दिनांक 24.09.2014 को लीज डीड पर शुद्ध हस्ताक्षर कर दिऐ थे । प्रार्थीया/बैंक प्रतिनिधि के समयाअवधि में नहीं आने के कारण लीज डीड जारी नहीं की जा सकी । अत: प्रार्थीया को लीज डीड जारी करने हेतु नोट सीट पर विवरण अंकित कर पूर्व हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को आज दिनांक में जारी करने के आदेश हेतु प्रकरण प्रस्तावित हैं । अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि लीज डीड दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को हस्ताक्षरित हो गयी थी परन्तु प्रार्थीया आवंटी को इस बारे में सूचित नहीं किया गया था। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थीया आवंटी की कोई गलती नहीं है। अतः बिना नवीनीकरण शुल्क (राशि रूपये 2000/–) वसूल किये बिना ही हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को तुरन्त जारी किया जावे तथा प्रार्थीया आवंटी को हस्ताक्षरसुदा लीज डीड प्राप्त करने हेतु सूचित नहीं किये जाने वाले कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 26 :: श्रीमति दिव्या भागचन्दानी पत्नि श्री लक्ष्मण भागचन्दानी को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या के–640 के संबंध में।

प्रार्थीया श्रीमति दिव्या भागचन्दानी पत्नि श्री लक्ष्मण भागचन्दानी को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या के–640 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 10.04.2012 को जारी किया गया था। प्रार्थीया ने

26.8.16

दिनांक 09.05.2012 को भूखण्ड की राशि रसीद सं. 9001/50627 दिनांक 15.06.2012 रू. 63025/– जमा करवा दिये। कार्यालय आदेश क्रं. 1508 दिनांक 26.06.2012 के निर्देशानुसार दिनांक 12.07.2012 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा कर लिया था। प्रार्थीया ने दिनांक 02.05. 2013 को आवेदन कर लीज डीड की मांग की थी जिसकी कार्यवाही पूर्ण कर तत्कालिन उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक ने दिनांक 08.07.2013 को लीज डीड पर शुद्ध हस्ताक्षर कर दिऐ थे । प्रार्थीया/बैंक प्रतिनिधि के समयाअवधि में नहीं आने के कारण लीज डीड जारी नहीं की जा सकी । अतः प्रार्थीया को लीज डीड जारी करने हेतु नोट सीट पर विवरण अंकित कर पूर्व हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को आज दिनांक में जारी करने के आदेश हेतु प्रस्तावित हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थीया आवंटी की कोई गलती नहीं है। अतः नवीनीकरण शुल्क (राशि रूपये 2000/–) वसूल किये बिना ही हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को तुरन्त जारी किया जावे तथा प्रार्थीया आवंटी को हस्ताक्षरसुदा लीज डीड प्राप्त करने हेतु सूचित नहीं किये जाने वाले कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 27 :: श्री मुकेश भाटिया पुत्र श्री ताराचन्द भाटिया को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या जे–515 के संबंध में।

प्रार्थी श्री मुकेश भाटिया पुत्र श्री ताराचन्द भाटिया को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या जे–515 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 47 दिनांक 07.10.2013 को जारी किया गया था। प्रार्थी ने भूखण्ड की राशि रसीद सं. 9001/93161 दिनांक 07.11.2013 रू. 3492707/– जमा करवा दिये। कार्यालय आदेश क्र. 65 दिनांक 28.05.2014 के निर्देशानुसार दिनांक 03.06.2014 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा दे दिया था। प्रार्थी ने आवेदन कर लीज डीड की मांग की थी जिसकी कार्यवाही पूर्ण कर तत्कालिन उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक ने दिनांक 04.08.2014 को लीज डीड पर शुद्ध हस्ताक्षर कर दिऐ थे । प्रार्थी/बैंक प्रतिनिधि के समयाअवधि में नहीं आने के कारण लीज डीड जारी नहीं की जा सकी । अतः प्रार्थी को लीज डीड जारी करने हेतु नोट सीट पर विवरण अंकित कर पूर्व हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को आज दिनांक में जारी करने के आदेश हेतु प्रकरण प्रस्तावित हैं । अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी आवंटी की कोई गलती नहीं है। अतः नवीनीकरण शुल्क (राशि रूपये 2000/–) वसूल किये बिना ही हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को तुरन्त जारी किया जावे तथा प्रार्थी आवंटी को हस्ताक्षरसुदा लीज डीड प्राप्त करने हेतु सूचित नहीं किये जाने वाले कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 28 :: श्री गोरधनसिंह राव पुत्र श्री जसवन्तसिंह राव को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या एल–549 के संबंध में।

प्रार्थी श्री गोरधन सिंह राव पुत्र श्री जसवन्त सिंह राव को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड संख्या एल–549 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1521 दिनांक 11.04.2012 को जारी किया गया था। प्रार्थी ने भूखण्ड की राशि रसीद सं. 9001/47849 दिनांक 16.05.2012 रू. 63025/– जमा करवा दिये। कार्यालय

26.8.16

आदेश क्र. 900 दिनांक 12.06.2012 के निर्देशानुसार दिनांक 18.09.2012 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा दे दिया था। प्रार्थी ने आवेदन कर लीज डीड की मांग की थी जिसकी कार्यवाही पूर्ण कर तत्कालिन उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक ने दिनांक 16.09.2013 को लीज डीड पर शुद्ध हस्ताक्षर कर दिऐ थे । प्रार्थी/बैंक प्रतिनिधि के समयाअवधि में नहीं आने के कारण लीज डीड जारी नहीं की जा सकी । अतः प्रार्थी को लीज डीड जारी करने हेतु नोट सीट पर विवरण अंकित कर पूर्व हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को आज दिनांक में जारी करने के आदेश हेतु प्रकरण प्रस्तावित हैं । अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थीया आवंटी की कोई गलती नहीं है। अतः बिना नवीनीकरण शुल्क (राशि रूपये 2000/–) वसूल किये बिना ही हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को तुरन्त जारी किया जावे तथा प्रार्थीया आवंटी को हस्ताक्षरसुदा लीज डीड प्राप्त करने हेतु सूचित नहीं किये जाने वाले कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 29 :: श्री नूर मोहम्मद चौहान पुत्र श्री रसूल खॉ को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या सी–142 के संबंध में।

प्रार्थी श्री नूर मोहम्मद चौहान पुत्र श्री रसूल खॉ को पूर्वी पाल रोड योजना में लॉटरी दिनांक 04.08.1989 को भूखण्ड संख्या सी–142 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2857 दिनांक 10.08.1989 को जारी किया गया था। प्रार्थी ने भूखण्ड की राशि रसीद सं. 220/89 दिनांक 05.09.1989 रू. 957.17/– जमा करवा दिये। कार्यालय आदेश दिनांक 03. 08.1989 द्वारा लाईसेन्स जारी किया गया था। प्रार्थी ने आवेदन कर लीज डीड की मांग की थी जिसकी कार्यवाही पूर्ण कर तत्कालिन उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक ने दिनांक 29.10. 1999 को लीज डीड पर शुद्ध हस्ताक्षर कर दिऐ थे। प्रार्थी/बैंक प्रतिनिधि के समयाअवधि में नहीं आने के कारण लीज डीड जारी नहीं की जा सकी। अतः प्रार्थी को लीज डीड जारी करने हेतु नोट सीट पर विवरण अंकित कर पूर्व हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को आज दिनांक में जारी करने के आदेश हेतु प्रकरण प्रस्तावित हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी आवंटी की कोई गलती नहीं है। अतः बिना नवीनीकरण शुल्क (राशि रूपये 2000/–) वसूल किये बिना ही हस्ताक्षरसुदा लीज डीड को तुरन्त जारी किया जावे तथा प्रार्थी आवंटी को हस्ताक्षरसुदा लीज डीड प्राप्त करने हेतु सूचित नहीं किये जाने वाले कार्मिक के विरूद्ध नामजद कार्यवाही उपायुक्त–दक्षिण दो सप्ताह में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 30 :: श्री गुदाराम पुत्र श्री भंवराराम को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या के–70 के संबंध में।

प्रार्थी श्री गुदाराम पुत्र श्री भवंराराम को विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09. 2011 को भूखण्ड संख्या के–70 (139.34 व.मी) आवंटित किया गया था। प्रार्थी ने राज्य कर्मचारी एवं अनुसूचित जनजाति इन दोनों वर्गो में आवेदन किया था। आवेदन पुस्तिका के क्रम संख्या 11 एवं आवेदन पत्र के क्रम संख्या 7 के अनुसार प्रार्थी के एक से अधिक वर्ग में एक साथ सही करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा । आवेदन निरस्त योग्य है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.07.2012 के प्रस्ताव संख्या 21(1) में निर्णय हुआ है

26.8.16

कि ऐसे प्रकरण जिनमें आवेदक ने एक से अधिक कॉलम में सही का निशान लगाया है और लॉटरी में आवेदन को किसी एक वर्ग का मानते हुऐ लॉटरी में सफल रहा है। ऐसे आवेदकों को जो सफल श्रेणी में पात्रता रखते है तो आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी किया जाना तय है। अत: प्रकरण अतिरिक्त माप 139.34 व.मी. का आवंटन करने एवं न करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त भूखण्ड संख्या के–70 में बढा हुआ क्षेत्रफल 139.34 वर्ग मीटर है एंव मौके की रिपोर्ट अनुसार उक्त बढ़ी हुई भूमि के माप का स्वतंत्र भूखण्ड बनाया जाना संभव नहीं है। अतः आरक्षित दर के डेढ गुणा दर पर अतिरिक्त क्षेत्रफल का आवंटन किया जावे। चूंकि अतिरिक्त नाप 100 वर्ग मीटर से अधिक है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 31 :: भैरव नाला निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के संबंध में।

भैरव नाला प्रताप नगर गुरो का तालाब, कमला नेहरू नगर, राजीव गांधी कॉलोनी होकर शोभावतों की ढाणी तक पक्का बना हुआ है। इसके आगे नाला निर्मित नही है। जिसके कारण नाले का गंदा पानी शोभावतों की ढाणी के आगे खुली भुमि में फैल जाता है। जो प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना के भूखण्डो मे व आगे श्रमिक कॉलोनी तथा डर्बी टेक्सटाईल के पीछे के क्षेत्र में फैल जाता है।

भैरव नाले के शोभावतों की ढाणी के आगे निर्मित नही होने के कारण वर्षा के समय जल भराव की भारी समस्या प्रतिवर्ष उत्पन्न हो जाती है। भैरव नाले का निर्माण आगे होने पर ही जल भराव समस्या का निस्तारण संभव है।

भैरव नाला सूरसागर कायलाना रोड से प्रारम्भ होकर शोभावातो की ढाणी तक कुल 6.60 किलो मीटर लम्बाई मे पक्का निर्मित है। इस नाले का निर्माण आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा वर्ष 2003 से 2006 की अवधि मे रू. 263.00 लाख राशि से किया गया था।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जल भराव क्षैत्र से पानी की निकासी हेतु शोभावातों की ढाणी से आगे जोजरी नदी तक नाला निर्माण करवाने के लिए उपायुक्त दक्षिण के आदेशो से पूर्व में सर्वे कार्य भी करवाया गया था। इसी दरम्यान श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा भैरव नाले के संबंध मे प्राधिकरण से जानकारी चाहने पर जब उक्त सर्वे के संबंध मे जानकारी दी गयी तब श्रीमान् द्वारा उक्त सर्वे मे भूमि अधिग्रहण का रकबा अधिक होने के कारण नया सर्वे कराने की आवश्यकता जताई गई तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.14 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें लिए गए निर्णय अनुसार आदेश क्रमांक विकास/सर्वे/2014/4691–4698 दिनांक 19.08.14 के जरिये भैरव नाले में निष्कासित होने वाले पानी व केमिकल युक्त अपशिष्ठ को जोजरी नदी तक पहुचाने के लिए भौतिक सर्वे एवं अन्य रास्ते के विकल्प सुझाने हेतु एक सर्वे टीम का गठन भी किया गया था। बैठक में नाले हेतु कुल 60 फीट चौडाई का प्रावधान किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसमे से 30 फीट चौडाई नाला निर्माण हेतु रखी जानी थी एवं 15–15 फीट चौडाई की भूमि नाले के दोनो तरफ नाले की सफाई एवं नाले के दोनो तरफ स्थित कृषि भूमियों के आवागमन हेतु सडक निर्माण के लिए प्रस्तावित की जानी थी। इस टीम द्वारा सर्वप्रथम क्षैत्र में घूमकर नाला निर्माण हेतु एक ऐसा एलाईन्मेन्ट तय किया गया जिसमें अधिक से अधिक कटाण की भूमि उपलब्ध हो ताकि नाला निर्माण हेतु कम से कम भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता हो। एलाईन्मेन्ट तय करने के पश्चात ग्रीन सिटी सर्वेयर्स के माध्यम से सम्पूर्ण सर्वे करवाया गया।

26.8.16

जिसकी विस्तृत रिपोर्ट मय समस्त मानचित्र भूमि अवाप्ति का रकबा भूमि के लेवल आदे को समस्त सूचना तैयार की गई है।

उक्त सर्वे के अनुसार प्रस्तावित नाला निर्माण की कुल लम्बाई 12.879 कि.मी. है तथा Slop 1in 300 का उपलब्ध है। प्रस्तावित लम्बाई में से 1250 मीटर लम्बाई जोधपुर ग्राम में पडती है। ग्राम पाल के कुल 32 खसरों मे से प्रस्तावित लम्बाई 1250 से 6350 मीटर पडती है। ग्राम तनावाडा के कुल 12 खसरों में से प्रस्तावित लम्बाई 6350 से 9200 मीटर पडती हे। इसी प्रकार ग्राम सालावास के कुल 16 खसरों में से प्रस्तावित लम्बाई 9200 से 12879 मीटर पडती है। नाला निर्माण हेतु कुल 60 फीट चौडाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 30 फीट चौडाई की भूमि नाला निर्माण हेतु एवं नाले के दोनों तरफ 15–15 फीट चौडाई की भूमि सर्विस लेन व आवागमन हेतु प्रस्तावित की गई है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे एक जनहित याचिका D.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 7038 / 2015 श्री माधोसिंह कच्छवाहा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई है। उक्त प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.09.15 में भैरव नाले के गंदे पानी का निस्तारण जोजरी नदी तक करने हेतु भूमि आवाप्ति की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है तथा प्राधिकरण को अपने स्तर पर भूमि आवाप्ति की तैयारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है एवं इसी क्रम मे राज्य सरकार को भी प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

उपरोक्त तथ्यो के मध्य नजर एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना मे उपरोक्त सर्वे अनुसार भूमि आवाप्ति की कार्यवाही की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष रखे जाने हेतु श्रीमान् निदेशक अभियांत्रिकी के मार्फत उपायुक्त दक्षिण को भिजवाये जाने हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2015 में जरिये प्रस्ताव संख्या 21 इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2015 में प्रस्ताव संख्या 21 में लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही / पालना निदेशक–अभियांत्रिकी एवं उपायुक्त–दक्षिण द्वारा सुनिश्चित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 32 :: राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के अन्तर्गत जारी लीजडीड के सम्बन्ध में। (आवेदक श्री प्रवीण भूखण्ड संख्या 27–ए ग्राम कुडी भगतासनी खसरा संख्या 35, 41, 42 एवं 43)

आवेदक श्री प्रवीण द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90–क के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 27–ए ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 35, 41, 42, 43 का आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार एवं पटवारी से स्वामित्व सम्बन्धी रिपोर्ट ली जाकर नियमन राशि जमा करवायी गयी। प्रकरण में नियमन राशि जमा होने पर पट्टा दिनांक 25.08.2014 को तत्कालीन उप नगर नियोजक एंव उपायुक्त के हस्ताक्षरित हुआ। पट्टा दिनांक 28.08.14 को डिस्पेच हो चुका था, लेकिन परिवादी द्वारा भूखण्ड के सैट–बैक से असंतुष्ट होने एवं मूल दस्तावेज नहीं होने के कारण पट्टा कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया। आवेदक द्वारा अब भूखण्ड संख्या 27–ए ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 35, 41, 42, 43 का पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में समिति द्वारा जारी आवंटन–पत्र के सम्बन्ध में एन.ओ.सी ली जानी है।

26.8.16

प्रकरण में पट्टा दिनांक 28.08.14 को डिस्पेच होने के कारण आज दिनांक को पट्टा जारी करने के संबंध में प्राधिकरण के निदेशक विधि से विधिक राय ली गयी। निदेशक विधि की राय निम्नानुसार है:–

"According to section 23 of I.R. Act No Document other than a Will can be accepted for Registration unless Presentic for that Purpose to the proper Officer within from Months from the date of its Execution further period of four months is allowed for Registration in Certain Cases of Urgent necersity or unavoidable Accident.

Eight Months is the Out Side Limit for Presenting a Document for registration finance Deptt. is only authorised to relase the rule a subsectiad of Rajasthan Stamp Act 1998. Hence, at Present any relaseation has been provided may be asked to D.I.G. Stamp for Validation/Re-execution of a Document."

ऐसे समान प्रकार के अन्य प्रकरणों मे सहायक विधि परामर्शी द्वारा प्रदत्त राय अनुसार प्रशासनिक स्तर विवेकानुसार अग्रिम कार्यवाही/निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी को जारी लीज डीड दिनांक 28 अगस्त, 2014 को डिस्पेच हो गयी थी परन्तु प्रार्थी द्वारा सेट बैक से असंतुष्ठ होने के कारण लीज डीड कार्यालय से प्राप्त नहीं की गयी। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी से 2000/– रूपये की राशि वसूल कर लीज डीड का नवीनीकरण कर लीज डीड तुरन्त प्रार्थी को जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 33 :: राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के अन्तर्गत जारी लीजडीड के सम्बन्ध में। (आवेदक श्रीमति विमला विश्नोई भूखण्ड संख्या 104 ग्राम पाल खसरा संख्या 234)

आवेदक श्रीमति विमला विश्नोई पत्नि श्री सहीराम विश्नोई द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90–क के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 104 ग्राम पाल के खसरा संख्या 234 का आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार एवं पटवारी से स्वामित्व सम्बन्धी रिपोर्ट ली जाकर नियमन राशि जमा करवायी गयी। प्रकरण में नियमन राशि जमा होने पर पट्टा दिनांक 06.08.2014 को तत्कालीन उप नगर नियोजक एंव उपायुक्त के हस्ताक्षरित हुआ। परिवादी के भूखण्ड के असल दस्तावेज किसी अन्य सख्स के पास अडाणे/गिरवी रखे होने के कारण पट्टा कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया। पट्टा डिस्पेच नहीं हुआ। आवेदक द्वारा अब भूखण्ड संख्या 104 ग्राम पाल के खसरा संख्या 234 का पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पट्टा दिनांक 06.08.2014 को तत्कालीन उप नगर नियोजक एंव उपायुक्त के हस्ताक्षरित होने के कारण आज दिनांक को पट्टा जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। ऐसे समान प्रकार के अन्य प्रकरणों मे सहायक विधि परामर्शी द्वारा प्रदत्त राय अनुसार प्रशासनिक स्तर विवेकानुसार अग्रिम कार्यवाही/निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा असल दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखे होने के कारण पट्टा कार्यालय से

26.8.16

प्राप्त नहीं किया गया। अतः प्रकरण में प्रार्थीया की लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया से 2000/— रूपये की नवीनीकरण शुल्क वसूल करते हुए लीज डीड का नवीनीकरण करते हुए तुरन्त लीज डीड जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 34 :: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत जारी लीजडीड के सम्बन्ध में। (आवेदक श्री आनन्दसिंह भूखण्ड संख्या 6/1 ग्राम बासनी चौहाना खसरा संख्या 21 व 22)

आवेदक श्री आनन्दसिंह पुत्र श्री उदाराम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90-क के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 06/1 ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 21 व 22 का आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार एवं पटवारी से स्वामित्व सम्बन्धी रिपोर्ट ली जाकर नियमन राशि जमा करवायी गयी। प्रकरण में नियमन राशि जमा होने पर पट्टा दिनांक 20.09.2013 को तत्कालीन उप नगर नियोजक एंव उपायुक्त के हस्ताक्षरित हुआ। परिवादी के भूखण्ड के असल दस्तावेज किसी अन्य सख्स के पास अडाणे/गिरवी रखे होने के कारण पट्टा कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया। पट्टा डिस्पेच नहीं हुआ। आवेदक द्वारा अब भूखण्ड संख्या 06/1 ग्राम बासनी चौहाना के खसरा संख्या 21 व 22 का पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पट्टा दिनांक 20.09.2013 को तत्कालीन उप नगर नियोजक एंव उपायुक्त के हस्ताक्षरित होने के कारण आज दिनांक को पट्टा जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। ऐसे समान प्रकार के अन्य प्रकरणों मे सहायक विधि परामर्शी द्वारा प्रदत्त राय अनुसार प्रशासनिक स्तर विवेकानुसार अग्रिम कार्यवाही/निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा असल दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखे होने के कारण पट्टा कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया। अतः प्रकरण में प्रार्थी की लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी से 2000/— रूपये की नवीनीकरण शुल्क वसूल करते हुए लीज डीड का नवीनीकरण करते हुए तुरन्त लीज डीड जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 35 :: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-क के अन्तर्गत जारी लीजडीड के सम्बन्ध में। (आवेदक श्रीमती गीतादेवी भूखण्ड संख्या 3 खसरा संख्या 311 ग्राम कुडी भगतासनी)

आवेदक श्रीमति गीतादेवी पत्नि श्री दौलतराम शर्मा व श्री विष्णु कांत पुत्र श्री दौलतराम जरिये पति श्री दौलतराम शर्मा द्वारा आपके समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 311 पर स्थित भूखण्ड संख्या 03 पूर्व हस्ताक्षरित पट्टा बनाप 352.08 वर्गगज को निरस्त करते हुए 500 वर्गगज का पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया है।
प्रकरण के अन्तर्गत वस्तुस्थिति निम्नलिखित अनुसार है:-

आवेदक द्वारा सर्वप्रथम भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-बी के अन्तर्गत ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 311 पर स्थित भूखण्ड संख्या 03 रकबा 791.66 वर्गगज का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में 90-बी का निर्णय दिनांक 05.09.2008 को पारित किया जाकर रकबा 791.66 वर्गगज भूमि की नियमन राशि 36,000/-रूपये राजकीय खाते में तथा राशि 1,33,910/-रूपये न्यास खाते में जरिये रसीद नं. 0038190 दिनांक 03.07.2008 कुल राशि 1,69,910/-रूपये राशि जमा करवायी गयी।

26.8.16

प्रकरण में दिनांक 17.12.2013 को आम–सूचना का प्रकाशन दैनिक नवज्योति समाचार–पत्र में प्रकाशित करवायी गयी। पत्रावली में कोई आपत्ति संलग्न नहीं है। पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट में भूखण्ड बनाप 352.08 वर्गगज का बताने पर साइट प्लान एंव पट्टे पर दिनांक 13.01.2014 को तत्कालीन उप नगर नियोजक एंव उपायुक्त के हस्ताक्षरित हो चुके है। पूर्व में हस्ताक्षरित पट्टा आवेदक द्वारा कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया। पूर्व में हस्ताक्षरित पट्टा डिस्पेच नहीं हुआ।

आवेदक श्रीमति गीतादेवी पत्नि श्री दौलतराम शर्मा व श्री विष्णु कांत पुत्र श्री दौलतराम द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अन्तर्गत पुनः भूखण्ड संख्या 03 ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 311 की पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पत्रावली में स्वीकृत ले–आउट प्लान अनुसार तहसीलदार एंव पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाने पर मौका रिपोर्ट में भूखण्ड का नाप 502.77 वर्गगज दर्शाया गया है।

उक्त खसरे का ले–आउट प्लान जेड.एल.सी दिनांक 03.05.13 के द्वारा स्वीकृत किया जाकर 90–क आदेश रकबा 49.18 बीघा दिनांक 04.06.13 को पारित किया जा चुका है।

प्रकरण में पट्टा दिनांक 13.01.2014 को तत्कालीन उप नगर नियोजक एंव उपायुक्त के हस्ताक्षरित होने के कारण आज दिनांक को बनाप 352.08 वर्गगज को निरस्त करते हुए 500 वर्गगज का पट्टा जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त स्वयं मौका देखे और अपनी रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 36 :: श्रीमति राजेश्वरी शेखावत को दन्तोपंत ढेगडी नगर में आवंटित भूखण्ड संख्या 515 के संबंध में।

श्रीमति राजेश्वरी शेखावत पत्नि श्री भूपेन्द्रसिंह को दिनांक 25.07.2008 द्वारा भूखण्ड संख्या 515, दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना में आवंटित किया गया था । जिसका माप क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर है। आवंटन –पत्र अनुसार प्रार्थीनी ने रसीद संख्या 00433394 दिनांक 08.09.2008 के जरिये रूपये 39,012/– आवंटन पत्र प्राप्ति दिनांक 13.08.2008 के अनुसार समयावधि में जमा करा दिये है । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के अनसुार भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने के कारण अन्तर राशि रूपये 32,686/– व शास्ती की देय राशि 12,228/– कुल रूपये 44,914/– का नोटिस जारी किया गया था । प्रार्थीनी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई है । जिसकी निर्धारित अवधि 30 दिन पत्र प्राप्ती से थी ।

श्रीमति राजेश्वरी शेखावत पत्नि श्री भूपेन्द्रसिंह ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मुझे आपके कार्यालय का जो पत्र मिला था जिसके पर जावक नम्बर व दिनांक अंकित नहीं होने के कारण मैं उक्त राशि समय पर जमा नहीं करवा सकी । और अब राशि जमा करवानी चाहती हूँ । उक्त प्रकरण में विलम्ब समय 4 वर्ष से ज्यादा होने के कारण उपायुक्त (पश्चिम) के आदेश अनुसार प्रकरण को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखनें का निर्णय लिया गया है ।

अतः उपायुक्त पश्चिम के आदेश अनुसार प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 19.10.2015 के समक्ष निर्णयार्थ रखा गया । परन्तु प्राधिकरण की कार्यकारी

26.8.16

समिति की गत बैठक दिनांक 19.10.2015 के प्रस्ताव संख्या 15 में बाद विचार सर्व सम्मति से प्रकरण संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब हो चुका है जिसको नियमित करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित है। अतः प्रकरण को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ नियमानुसार नियमित करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 37 :: श्री भॅंवरलाल को रामराज नगर में आवंटित भूखण्ड संख्या 61 सेक्टर–3 के संबंध में।

श्री भंवरलाल पुत्र श्री हजारी जी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जवाहर कॉलोनी नाले से हटाए गए भूखण्ड के बदले रामराज नगर में भूखण्ड संख्या 61 सेक्टर 3 में आवंटन किया जावे । पूर्व में नगर सुधान न्यास जोधपुर की भू–आवंटन व भू–क्रियान्वयन वित समिति की बैठक दिनांक 085.08.2008 के प्रस्ताव संख्या 46 के निर्णय अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड आवंटन हेतू अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया है । प्रार्थी द्वारा पूर्व में भूखण्ड नियमन हेतू रसीद संख्या 14706/85 दिनांक 18.01.1973 जरिये रूपये 360/– न्यास कोष में जमा है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 61 सेक्टर–3 रामराज नगर में कार्नर का बताया गया हैं तथा साथ ही भूखण्ड संख्या 61–ए सेक्टर–3, रामराज नगर में रिक्त बताया गया है ।

भूखण्ड आवंटन हेतू प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत है । अतः उपायुक्त पश्चिम के आदेश अनुसार भूखण्ड आवंटन हेतू प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 19.10.2015 के समक्ष निर्णयार्थ रखा गया । परन्तु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 19.10.2015 के प्रस्ताव संख्या 20 में बाद विचार सर्व सम्मति के दौरान यह अवगत कराया गया कि समान प्रकृति के काफी प्रकरण लम्बित है । इस पर बैठक में सर्व सम्मति से समान प्रकृति के जितने भी प्रकरण लम्बित है, समस्त प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया । वर्तमान में इस प्रकरण के अलावा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि श्री भॅंवरलाल ने अपना दावा जवाहर कॉलोनी के नाले से बतौर अतिक्रमी हटाये जाने के कारण अन्य भूखण्ड बाबत प्रस्तुत किया है। जबकि नियमों मे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी के द्वारा जमा करायी गई राशि रूपये 360/– मय 4 प्रतिशत ब्याज वापस लौटायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 38 :: श्रीमति भारती जोशी को दन्तोपंत ढेगडी नगर में आवंटित भूखण्ड संख्या 66 के संबंध में।

श्रीमति भारती जोशी पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द्र जोशी को दिनांक 25.07.2008 द्वारा भूखण्ड संख्या 66, दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना में आवंटित किया गया था । जिसका माप क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर है। आवंटन –पत्र अनुसार प्रार्थीनी ने रसीद संख्या 0041962 दिनांक

26.8.16

25.08.2008 के जरिये रूपये 39,012/– आवंटन पत्र प्राप्ति दिनांक 08.08.2008 के अनुसार समयावधि में जमा करा दिये है । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के अनसुार भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने के कारण अन्तर राशि रूपये 32,686/– व शास्ती की देय राशि 12,228/– कुल रूपये 44,914/– का नोटिस जारी किया गया था । प्रार्थीनी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई है । जिसकी निर्धारित अवधि 30 दिन पत्र प्राप्ती से थी । प्रार्थीनी अब राशि जमा करवाना चाहती है ।

प्रार्थीनी श्रीमति भारती जोशी पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द्र जोशी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मुझे आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ 48/आर.एल/2010/2071 दिनांक 25.08.2010 जारी किया गया था । जिसके अनुसार रूपये 44,914/– न्यास कोष में जमा कराने थें । लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण में उक्त राशि समय पर जमा नहीं करा सकी । उक्त प्रकरण में विलम्ब समय 4 वर्ष से ज्यादा होने के कारण उपायुक्त (पश्चिम) महोदय के आदेश अनुसार प्रकरण को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखनें का निर्णय लिया गया है । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब हो चुका है जिसको नियमित करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित है। अतः प्रकरण को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ नियमानुसार नियमित करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: श्रीमति कमला भाटी को दन्तोपंत ढेगडी नगर में आवंटित भूखण्ड संख्या 129 के संबंध में।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 25.07.2008 को श्रीमति कमला भाटी पत्नी श्री मांगीलाल को भूखण्ड संख्या 129 दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर क्षेत्रफल 113.81 वर्गमीटर आवंटित किया गया था । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सडक सीमा मे आने के कारण प्रार्थीनी कमला भाटी ने प्राधिकरण के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष (द्वितीय) जोधपुर में वाद प्रस्तुत किया । प्रकरण संख्या 419/2011 के निर्णय दिनांक 30.09.2013 के द्वारा प्रार्थीया को दन्तोपन्त ढेगडी नगर में भूखण्ड संख्या 129 सडक सीमा में आ जाने के कारण उसके बदले में राजीव गांधी नगर योजना में 113.81 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय किया गया तथा आवंटन पत्र क्रमांक एफ 46/आवंटन (पश्चिम)2015/159 दिनांक 20.04.2015 के द्वारा भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर–आई राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में 113.81 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । जिसमें पूर्व भूखण्ड व वर्तमान भूखण्ड राजीव गांधी नगर की वर्तमान आरक्षित दर की गणना करते हुए बकाया राशि 1,64,184 रूपये जमा कराने हेतू श्रीमति कमला भाटी पत्नी श्री मांगीलाल भाटी को 30 दिवस का समय दिया गया । श्रीमति कमला भाटी पत्नी श्री मांगीलाल भाटी के द्वारा जिला विवाद मंच संख्या 2, जोधपुर जरिये अधिवक्ता से पत्र भेज कर भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर– आई, राजीव गाधी नगर योजना ग्राम चौखा की बकाया राशि का भुगतान जमा कराने में असमर्थता जताने के कारण प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त 2015 के समक्ष रखा गया । कार्यकारी समिति के प्रस्ताव संख्या 25 के अनुसार प्रार्थीनी कमला भाटी को भूखण्ड संख्या 488 सेक्टर–आई, राजीव गाधी नगर योजना चौखा के बदले समकक्ष वैल्यू का भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया । कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के आवंटन पत्र क्रमांक एफ 46/ आवंटन (पश्चिम)/2016/666 दिनांक 12.10.2015 के द्वारा भूखण्ड संख्या 493 सेक्टर–जे, 90 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योंजन ग्राम चौखा जोधपुर में आवंटित किया गया । प्रार्थीनी ने जिला उपभोक्ता मंच की पालना

26.8.16

के द्वारा भूखण्ड की मौके पर सुविधाओं के अभाव कारण व उक्त भूखण्ड संख्या 493 सेक्टर–जे, राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा की कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड सडक सीमा व नाले पर होने के कारण भूखण्ड को लेने में असमर्थता जताते हुए अन्यत्र भूखण्ड की मांग की है । प्रकरण को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखनें का निर्णय लिया गया है । अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थीया को मूलतः दन्तोपंत ढेगडी नगर में भूखण्ड संख्या 129 आवंटित हुआ था। चूंकि उक्त भूखण्ड मौका रिपोर्ट के अनुसार सडक सीमा में आने के कारण अन्य योजना में समतुल्य भूखण्ड देने की मांग की गई है। अतः यह प्रकरण भूखण्ड शिफ्टिंग का है जो एक योजना से दूसरी योजना में होना है। जो कि नीतिगत निर्णय की श्रेणी में आता है। अतः इस प्रकार के प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण की सर्वोच्च संस्था (प्राधिकरण बैठक) में प्रस्तुत किया जावे। संबंधित जोन उपायुक्त को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट के साथ पत्रावली सचिव के माध्यम से आयुक्त को प्रस्तुत की जावे जिससे कि प्रकरण में प्रकरण प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त की जा सके। साथ ही जोन उपायुक्त को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जोन में वर्तमान में जो जो जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आवासीय योजनाएं है, उनमें रिक्त भूखण्डों की सूची भी मय क्षेत्रफल के प्रस्तुत करें जिससे कि प्राधिकरण को निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

प्रस्ताव संख्या 40 :: श्री दीनदयाल शर्मा को कबीर नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 198 सेक्टर–बी के संबंध में।

प्रार्थी श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री देवीचन्द शर्मा को लॉटरी दिनांक 05.03.1983 के जरिये भूखण्ड संख्या 198 सेक्टर बी कबीर नगर योजना में क्षेत्रफल 200 वर्गगज का आवंटित किया गया। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा कर लाईसेन्स व साईट प्लॉन प्राप्त कर लिय गया था। प्रार्थी श्री दीनदयाल शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के कारण श्रीमती कमला शर्मा पत्नी स्व. श्री दीनदयाल शर्मा एवं श्री श्याम सुन्दर कुचेरा पुत्र स्व. श्री दीनदयाल शर्मा के नाम दिनांक 18.04.2000 को नाम हस्तान्तरण किया गया ।

न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 03.07.2008 के प्रस्ताव संख्या 5 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थीनी को आवंटित भूखण्ड संख्या 198 सेक्टर बी कबीर नगर योजना के बदले अन्य न्यास योजना में समकक्ष समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की पालना ने न्यास के कार्यालय आदेश क्रमांक 98 दिनांक 26.08.2008 के जरिये प्रार्थीनी को भूखण्ड संख्या 22, ग्राम चौखा के खसरा संख्या 753 योजना में 266.66 वर्गगज का भूखण्ड आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है जबकि पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गगज है।

तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा अधिक क्षेत्रफल (66.66 वर्गगज) की राशि आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल कर लीज–डीड जारी करने का आदेश जारी किया गया। चूंकि भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 के अन्तर्गत भी अधिक भूमि की राशि वर्तमान आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल किये जाने का नियम है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

26.8.16

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। चूंकि मूल आवंटी को वर्ष 1983 में आवंटन हुआ है। वर्ष 1983 से लेकर आदिनांक तक क्या यह प्रकरण कभी नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण की किसी बैठक में प्रस्तुत हुआ अथवा नहीं? यदि प्रस्तुत हुआ तो उसमें क्या निर्णय हुआ, की सूचना के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 41 :: श्रीमती नीना ओदिच्य को कबीर नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 176—बी के संबंध में।

प्रार्थीनी श्रीमती नीना ओदिच्य पत्नी श्री जनार्दन ओदिच्य को लॉटरी दिनांक 05.03.1983 के जरिये भूखण्ड संख्या 176 सेक्टर बी कबीर नगर योजना में 200 वर्गगज का आवंटन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा कर लाईसेन्स व साईट प्लॉन प्राप्त कर लिया गया था लेकिन भूखण्ड पर किसी और व्यक्ति का कब्जा होने के कारण भौतिक कब्जा प्रार्थीनी को सुपुर्द नहीं किया जा सका। प्रार्थीनी श्रीमती नीना ओदिच्य ने उक्त भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड देने बाबत् न्यास में अपना अभ्यावेदन दिया। इस पर न्यास ने प्रकरण आवंटन समिति में रखा।

न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 03.07.2008 के प्रस्ताव संख्या 7 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थीनी को आवंटित भूखण्ड संख्या 176 सेक्टर बी कबीर नगर योजना के बदले अन्य न्यास योजना में समकक्ष समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की पालना ने न्यास के कार्यालय आदेश क्रमांक 94 दिनांक 26.08.2008 के जरिये प्रार्थीनी को भूखण्ड संख्या 23, ग्राम चौखा के खसरा संख्या 753 योजना में 266.66 वर्गगज का भूखण्ड आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है जबकि पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गगज है।

तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा अधिक क्षेत्रफल (66.66 वर्गगज) की राशि आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल कर लीज—डीड जारी करने का आदेश जारी किया गया। चूंकि भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 के अन्तर्गत भी अधिक भूमि की राशि वर्तमान आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल किये जाने का नियम है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। चूंकि मूल आवंटी को वर्ष 1983 में आवंटन हुआ है। वर्ष 1983 से लेकर आदिनांक तक क्या यह प्रकरण कभी नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण की किसी बैठक में प्रस्तुत हुआ अथवा नहीं? यदि प्रस्तुत हुआ तो उसमें क्या निर्णय हुआ, की सूचना के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 42 :: श्री जी.डी. सक्सेना को कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या बी—27 के संबंध में।

26.8.16

प्रार्थी श्री जी.डी. सक्सेना पुत्र श्री बनवारी लाल सक्सेना को कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना के सेक्टर–बी में भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 200 वर्गगज का जरिये लॉटरी दिनांक 31/01/1979 को आवंटित हुआ था। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवाकर लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 05.12.1981 को प्राप्त कर लिया गया एवं बाद में उक्त भूखण्ड पर मकान निर्मित करने हेतु निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। निर्माण स्वीकृत के पश्चात् प्रार्थी द्वारा निर्माण करते समय श्री भभूता राम ने उक्त भूखण्ड को अपना बताते हुए उक्त निर्माण कार्य रूकवा दिया। श्री भभूताराम को भी इसी योजना में दिनांक 31/01/1979 का जरिये लॉटरी भूखण्ड संख्या 26 क्षेत्रफल 200 वर्गगज का आवंटित किया गया था।

न्यास द्वारा मूल योजना में छेडछाड कर भूखण्ड संख्या 22 से 40 वाली साईड में भूखण्ड संख्या 22 व 24 के मध्य भूखण्ड संख्या 159 डाल दिया इससे भूखण्ड संख्या 23 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 159 अंकित हो गया एवं भूखण्ड संख्या 23 वाला भूखण्ड 24 पर, एवं 24 वाला 25 पर इस तरह भूखण्ड का क्रमबद्ध नहीं रहा। इसलिए दूसरा आवंटी श्री भभूताराम उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 27 पर अपना भूखण्ड बताते हुए काबिज हो गया एवं श्री भभूताराम ने ही वर्ष 1987 में श्री जी.डी. सक्सेना के विरूद्ध दीवानी संख्या 174/87 अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या 01 जोधपुर में दायर कर दिया। न्यास द्वारा मूल योजना में छेडछाड कर भूखण्ड संख्या 22 से 40 वाली साईड में भूखण्ड संख्या 22 व 24 के मध्य भूखण्ड संख्या 159 डालने से भूखण्डों का क्रम बिगडने से श्री भभूताराम भूखण्ड संख्या 27 पर काबिज हो गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मे एस.बी.सिविल रिवीजन याचिका संख्या 141/91 श्री भभूताराम द्वारा दायर की थी। उक्त रिवीजन में तत्कालीन सचिव श्री सी.एस. बेनीवाल, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपस्थित होकर कोर्ट एक शपथ–पत्र दिनांक 14/09/1993 को प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को अवगत करवाया था कि उक्त योजना में भूखण्ड संख्या बी–125 उपलब्ध हैं, जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी पार्टी को आवंटित किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पक्षकारान् उक्त अवसर का लाभ नही ले पायें एवं भूखण्ड संख्या बी–125 भी किसी चम्पालाल नाम के व्यक्ति को आवंटित हो गया।

श्री भभूताराम ने माननीय न्यायालय मे एस.बी. सिविल अपील संख्या 777/09 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 02/12/2015 को सभी पक्षों की सहमति से उक्त प्रकरण मिडियेशन सेन्टर को रेफर किया। मिडियेशन सेन्टर में उक्त प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है एवं मिडियेशन सेन्टर ने प्राधिकरण को निर्देश दिये है कि प्रार्थी को कमला नेहरू नगर में आवंटित हुए भूखण्ड के बदले समानुपातिक रूप से अन्य भूखण्ड दिया जावे। प्रार्थी श्री जी.डी. सक्सेना को रामराज नगर योजना में भूखण्ड दिखाये गये। प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 333 व 334 प्रत्येक की साईज 30' गुणा 69' फुट है, को लेने की सहमति दी है एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रामराज नगर योजना की वर्तमान आरक्षित दर 5,940/– प्रति वर्गमीटर है एवं कमला नेहरू नगर की डी.एल.सी. दर 1,330/–प्रति वर्गफुट है। इस तरह कमला नेहरू नगर के 30 गुणा 60 के भूखण्ड की कीमत 23,94,000/– रूपये होते है एवं रामराज नगर के उक्त दोनों भूखण्डों की कीमत 22,84,560/– रूपये होती है। अतः प्रार्थी ने मांग की है कि "मुझे रामराज नगर योजना के सेक्टर 04 के उक्त दोनों भूखण्ड दे दिये जाये तथा अन्तर राशि अर्थात् 23,94,000 – 22,84,560 = 1,09,440/– रूपये लौटाये जावें। ऐसा करने से मुझे सन्तोषजनक रूप से क्षतिपूर्ति हो जायेगी।"

अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी को रामराज नगर योजना के 02 भूखण्ड दिये जाने है या 01 भूखण्ड दिया जाना है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

26.8.16

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करें एवं साथ ही उक्त जोन में किस किस योजना में कितने भूखण्ड किस श्रेणी के खाली है, की सूची भी पेश करें।

प्रस्ताव संख्या 43 :: वाम्बे योजना अन्तर्गत आवास संख्या 123 सेक्टर–सी के आवंटन के संबंध में।

वाम्बे योजना ग्राम चौखा जोधपुर की लॉटरी दिनांक 25/04/2006 को निकाली गयी थी । जिसमें श्री मोनू पुत्र श्री घासीराम को आवास संख्या 123, सेक्टर–सी, ग्राम चौखा में आवास आवंटित किया गया था । जिसका आवंटन पत्र दिनांक 19.04.2007 को जारी किया गया था। आवंटन के पश्चात् प्रार्थी को आवास की एक मुश्त राशि 26,000/– अथवा प्रतिमाह की किश्त 307/–, 156 किश्तों में जमा करवानी थी। आवंटी द्वारा निश्चित समयावधि में राशि जमा नहीं करवायी गयी। ऐसी प्रकृति के बहुत सारे प्रकरण होने की वजह से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 13/07/2011 के प्रस्ताव संख्या 1 के बिन्दु संख्या 3 में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों में आंवटी को 15 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत शास्ती सहित जमा करवाने हेतु दिनांक 31/08/2011 तक का अन्तिम अवसर दिया गया था। उपरोक्त निर्णय की पालना में उक्त प्रकरण में आवंटी को राशि जमा करवाने हेतू मांग पत्र जारी किया गया था। उक्त समयावधि मे भी प्रार्थी द्वारा आवास की राशि जमा नही करवाई। इसके पश्चात् प्रार्थी ने दिनांक 07/06/2013 को एकल खिडकी पर एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे पूर्व के राशि जमा करवाने बाबत् कोई नोटिस प्राप्त नही हुए है। अब में समस्त बकाया राशि ब्याज सहित जमा करवाना चाहता हूँ। इस पर प्राधिकरण द्वारा प्रकरण तैयार कर राज्य सरकार को दिनांक 02/08/2013 को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार से इस पत्र के क्रम में कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक प. 1(224)न.वि.वि/जयपुर/2014 दिनांक 20/07/2015 द्वारा आदेश जारी किये कि "राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 01/01/2001 के पश्चात् आवंटित किये गये आवासों/भूखण्डों (ई.डब्ल्यू.एस एवं एल.आई.जी.) जिनमें आवंटियों द्वारा पूर्ण राशि जमा नहीं करायी गई है, ऐसे आवासों/भूखण्डों हेतु नियमानुसार देय राशि जमा कर भूखण्डों के आवंटन को बहाल किये जाने की शक्तियां जो राज्य सरकार के पास निहित है, यह शक्तियां दो माह के लिए एक बारीय विकास प्राधिकरण व नगर सुधार न्यास को प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।" प्रार्थी द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशन विज्ञप्ति के आधार पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16/.09/2015 को एकल खिडकी पर आवास की राशि जमा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित लिपिक को दिनांक 18/09/2015 प्राप्त हुआ एवं दिनांक 18/09/2015 को ही उपायुक्त के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गयी। दिनांक 19/09/2015 व 20/09/2015 को राजकीय अवकाश होने के कारण प्रकरण पर कोई कार्यवाही नही की जा सकी। राज्य सरकार के उक्त परिपत्र अनुसार निर्धारित समय अवधि दिनांक 18/09/2015 को समाप्त होती है। प्रकरण में विधिक टिप्पणी प्राप्त करने हेतु पत्रावली विधि शाखा में भेजी गयी। विधि शाखा द्वारा राय प्रदान की गयी कि प्रकरण का निस्तारण कार्यकारी समिति या आयुक्त महोदय से होना उचित होगा। प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 12/03/2016 में रखा गया। उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या 12 मे लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण का विधिक परीक्षण कर यदि उक्त प्रकरण में कार्यकारी समिति को प्रदत्त शक्तियों के तहत राशि जमा की जा सकती है, तो नियमानुसार राशि जमा करवाने की कार्यवाही की जावें। विधि शाखा ने अपनी राय दी कि प्रार्थी के आवेदन पत्र से 17 सितम्बर को 2 माह चुके थे। जबकि लिपिक द्वारा कार्यवाही दिनांक 18/09/2015 को शुरू की गयी। अतः दो माह के बाद कार्यवाही किया जाना परिपत्र के विरूद्ध होगा। यदि उपायुक्त महोदय उचित समझते है तो तदानुसार कार्यवाही करावें।"

26.8.16

चूंकि आवेदक द्वारा दिनांक 16/09/2015 को अपना आवेदन एकल खिडकी पर प्रस्तुत कर दिया था। ऐसी स्थिति में आवेदक की कोई गलती नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20/07/2015 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदन समय सीमा में प्रस्तुत कर दिया था। जे.डी.ए. स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी परिस्थितिवश कार्रवाई करने में 2 दिन का विलम्ब हुआ अर्थात् प्रार्थी को मांग पत्र समय सीमा में जारी नही हुआ। इस प्रकरण में प्रार्थी के स्तर पर कोई चूक नहीं हुई है। अतः मेरे अभिमत से नियमानुसार प्रार्थी से राशि राज्य सरकार के परिपत्र की मंशानुरूप जमा करवा लेनी चाहिए। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विलम्ब को नियमानुसार नियमित करने के लिए प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 44 :: श्री मोहम्मद इकबाल को अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 4 ग्राम चौखा में लॉटरी द्वारा आवंटित आवास संख्या ई/51/03 के संबंध में।

अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 04 ग्राम चौखा जोधपुर की लॉटरी दिनांक 14.07.2011 को निकाली गयी थी जिसमें श्री मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ को आवास संख्या ई/51/03 आवंटित किया गया था। जिसका आवंटन पत्र दिनांक 23.08.2011 को जारी किया गया था। निम्न अनुसार राशि जमा होनी थी।

क्र. सं.	जमा योग्य राशि	आवंटन पत्र प्राप्ति तिथि (दिवस में)		राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि	प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने की तिथि	देरी से जमा दिनों की संख्या	प्रतिदिन ब्याज	बकाया मूल राशि	अन्तर ब्याज राशि
1	2000	7	23/8/2011	30/8/2011	7/6/2012	-	-	-	-
2	10000	30	23/8/2011	22/9/2011	20/6/2012	272	5	-	1360
3	10000	60	23/8/2011	22/10/2011	20/6/2012	242	5	-	1210
4	10000	90	23/8/2011	21/11/2011	20/6/2012	212	5	-	1060
5	100000	15	23/8/2011	7/9/2011	20/6/2012	287	50	-	14350
6	25000	180	23/8/2011	19/2/2012	31/7/2016	1624	13	25000	21112
7	25000	210	23/8/2011	20/3/2012	31/7/2016	1594	13	25000	20722
8	25000	240	23/8/2011	19/4/2012	31/7/2016	1564	13	25000	20332
9	28000	270	23/8/2011	19/5/2012	31/7/2016	1534	14	28000	2147[illegible]
10	10%शास्ती								23300
	शेष बकाया राशि							103000	124922

इस प्रकार बकाया मूल राशि **1,03,000/-** एवम् बकाया ब्याज/शास्ती राशि **1,24,922/-** कुल **2,27,922/-** रूपये मय ब्याज/शारूत्री दिनांक 31.07.2016 तक का बकाया है। प्रार्थी दिनांक 21.06.2012 से डिफाल्टर है। प्रार्थी द्वारा आवास की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करानें का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखनें का निर्णय लिया गया। पूर्व में भी कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.03.2016 के प्रस्ताव संख्या 09 में ऋषभ जैन के प्रकरण में भी नियमानुसार राशि जमा कराने का निर्णय लिया गया। निर्णय की प्रति सलंग्न है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष राशि जमा करवाने के निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत हुआ।

26.8.16

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विलम्ब को नियमानुसार नियमित करने की प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 45 :: श्री राधेश्याम को अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 4 ग्राम चौखा में लॉटरी द्वारा आवंटित आवास संख्या ई/1/204 के संबंध में।

अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 04 ग्राम चौखा जोधपुर की लॉटरी दिनांक 14.07. 2011 को निकाली गयी थी जिसमें श्री राधेश्याम पुत्र श्री रणछोड़राम को आवास संख्या ई/1/204 आवंटित किया गया था । जिसका आवंटन पत्र दिनांक 24.08.2011 को जारी किया गया था। प्रार्थी को आवंटन–पत्र 09.01.2012 को प्राप्त हूआ। निम्न अनुसार राशि जमा होनी थी।

क्र. सं.	जमा योग्य राशि	आवंटन पत्र प्राप्ति तिथि (दिवस में)		राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि	प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने की तिथि	देरी से जमा दिनों की संख्या	प्रतिदिन ब्याज	बकाया मूल राशि	अन्तर ब्याज राशि
1	2000	7	9/1/2012	16/1/2012	16/1/2012	-	-	-	-
2	10000	30	9/1/2012	8/2/2012	6/2/2012	-	5	-	-
3	10000	60	9/1/2012	9/3/2012	20/3/2012	11	5	-	55
4	10000	90	9/1/2012	8/4/2012	28/12/2012	264	5	-	1320
5	100000	15	9/1/2012	24/1/2012	24/1/2012	0	50	-	0
6	25000	180	9/1/2012	7/7/2012	31/7/2016	1485	13	25000	19305
7	25000	210	9/1/2012	6/8/2012	31/7/2016	1455	13	25000	18915
8	25000	240	9/1/2012	5/9/2012	31/7/2016	1425	13	25000	18525
9	28000	270	9/1/2012	5/10/2012	31/7/2016	1395	14	28000	19530
10	10%शास्ती								24300
	शेष बकाया राशि							103000	101950

इस प्रकार बकाया मूल राशि **1,03,000/–** एवमं बकाया ब्याज/शास्ती राशि **1,01,950/–** कुल **2,04,950/–** रूपये मय ब्याज/शारूत्री दिनांक 31.07.2016 तक का बकाया है। प्रार्थी दिनांक 25.01. 2012 से डिफाल्टर है। प्रार्थी द्वारा आवास की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करानें का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखनें का निर्णय लिया गया। पूर्व में भी कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12.03.2016 के प्रस्ताव संख्या 09 में ऋषभ जैन के प्रकरण में भी नियमानुसार राशि जमा कराने का निर्णय लिया गया। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष राशि जमा करवाने के निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत हुआ।

26.8.16

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विलम्ब को नियमानुसार नियमित करने की प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 46 :: सारण नगर आरओबी सर्विस रोड व नाला निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति प्रकिया बाबत।

सारण नगर आरओबी के लिए सर्विस रोड हेतु भूमि अवाप्त की जानी प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त–उत्तर ने अवगत कराया कि ग्राम पूंजला के खसरा नम्बर 267 में स्थित राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार निम्न खातेदारों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि निम्नानुसार हैः–

1– सीताराम, मंगलसिंह पिता शिवराम :– 465.30 वर्गमीटर
2– अरूण सांखला पि. जमनीराम :– 136.51 वर्ग मीटर
3– ब्रह्मसिंह, नेमीचंद, परसराम, छतरसिंह पि. नरसिंह
वेदनप्रकाश पि. किशनलाल दोनों की संयुक्त भूमि :– 656.67 वर्ग मीटर
4– गोकुलसिंह, नरपतसिंह पि. बाबूलाल
संदीप मुकेश, दलपतसिंह व अन्य की संयुक्त भूमिः– 604.15 वर्ग मीटर
सर्विस रोड एवं नाले निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि 1862.63 वर्ग मीटर

उपरोक्त खातेदारों द्वारा भूमि अधिग्रहण करने हेतु लिखित में सहमति प्रदान की है। उक्त भूमि वर्तमान भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अधिग्रहण की जाती है तो कम से कम एक वर्ष से अधिक का समय लगता है। किन्तु वर्तमान में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. में समय काफी व्यतीत हो चुका है एवं समयावधि के भीतर निर्माण किया जाना अति–आवश्यक है। पूर्व में भी गतिरोध के कारण विलम्ब हो चुका है। अतः प्रस्तावित भूमि को तुरन्त ही अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित भूमि 1862.63 वर्गमीटर को प्राधिकरण अधिनियम 45 में दिये गये प्रावधानों के तहत अधिग्रहण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित 1862.63 वर्गमीटर का कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर के अन्तर्गत नियमानुसार लगभग मुआवजा राशि रूपये 1,33,40,144/– का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 47 :: विवेक विहार योजना में अतिकमित भूखण्डों के संबंध में।

विवेक विहार योजना में अतिकमित भूखण्डों के बदले अन्य भूखण्ड कार्यकारी समिति के निर्णयानुसार आवंटित करने हेतु कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में विचारार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

26.8.16

बैठक में उपायुक्त–दक्षिण ने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की महत्वाकांक्षी विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्डों पर अतिक्रमण के पाये गये है। जिनके संबंध में पूर्व में भी कार्यकारी समिति द्वारा अतिक्रमित भूखण्डों के बदले अन्य भूखण्डों की लॉटरी निकालने के निर्देश दिये गये है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30–31 जुलाई, 2014 के कार्यवाही विवरण दिनाक 4 अगस्त, 2014 को जारी किया गया था, की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 4 (12) में 8 प्रकरणों में यह बताया गया था कि मौके पर भूखण्ड पर अतिक्रमण है इसलिए कब्जा दिया जाना संभव नहीं है एवं लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्डधारियों को अन्यत्र समान माप का भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किया जावे। इन प्रकरणों में से प्रकरण संख्या 1 में वर्णित भूखण्ड संख्या जे–18, प्रकरण संख्या 5 में वर्णित भूखण्ड संख्या जे–39 एवं प्रकरण संख्या 7 में वर्णित भूखण्ड संख्या एच–959 के संबंध में हाल ही में आयुक्त महोदय, सचिव महोदय एवं स्वयं उपायुक्त–दक्षिण, संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता एवं संबंधित पटवारी के साथ मौका निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है जिससे कि इस प्रकार से पूर्व में लिये गये निर्णय भी संदेह की श्रेणी में आ जाते है।

<u>निर्णय</u>

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों में लॉटरी के द्वारा आवंटित अतिक्रमित भूखण्डों के बदले दूसरे भूखण्ड विवेक विहार योजना में ही उसी सेक्टर में आवंटित करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – समन्वयक
2– निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
3– निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
4– तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य
5– उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव
6– पटवारी–दक्षिण व कनिष्ठ अभियन्ता–दक्षिण

उक्त समिति बाद कार्यकारी समिति के अनुमोदन के यथा सम्भव इस प्रकार के प्रकरणों में मौका निरीक्षण कर पत्रावली में कार्यवाही पूर्ण कर अतिक्रमित भूखण्ड के बदले नियमानुसार पाये जाने पर (कार्यकारी समिति के पूर्व निर्णयों के क्रम में) अन्य भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही करें। अतिक्रमण के बाबत जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 48 :: विवेक विहार योजना हेतु अवाप्त की गई भूमि के अवार्ड में नाम जोडने के सबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना हेतु अवाप्त की गई भूमि ग्राम सांगरिया एवं कुड़ी भगतासनी जोधपुर के अंतिम मुआवजे अवार्ड संख्या भुआ/20/664 दिनांक 26.10.2004 को अंतिम अवार्ड जारी हुआ था। जिसमें से खसरों का पूर्ण रकबा अवाप्त किया जा चुका है। परन्तु कारणवश खातेदार व हितबद्ध का नाम अवार्ड सूची में दर्ज नहीं हुआ/नाम जोड़ने के आदेश पश्चात् अवार्ड सं. जारी नहीं/ अवार्ड में नाम जोड़ने पश्चात् भूखण्ड का आवंटन नहीं है। अतः ऐसे प्रकरणों की सूची अवार्ड में नाम जोड़ने/अवार्ड सं. जारी करने/भूखण्ड उपलब्ध करवाने हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक के समक्ष निर्णय हेतु अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

26.8.16

क्र. स.	खातेदार	क्रेता/हित बद्ध	खसरा नं. व ग्राम	दस्तावेज विवरण	विशेष विवरण
1	भूराराम पुत्र लालाराम, पट्टा क्रमांक 2263/95 रकबा 1000 व. ग.	श्री जे.सी. मालू पुत्र श्री इन्द्रचन्द मालू	302 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक भूराराम पुत्र लालाराम मेघवाल से भूखण्ड सं. 8 का पंजीकृत बेचाननामें द्वारा 500 व.ग. भूमि की कय की।	आदेश कमांक 621–24 दिनांक 08. 03.2013 के अनुसार अवार्ड 244/1 जेसी मालू को अवार्ड जारी किया गया। अवार्ड में भूखण्ड आवंटित नहीं है।
2	भूराराम पुत्र लालाराम, पट्टा क्रमांक 2263/95 रकबा 1000 व. ग.	श्रीमती निर्मला कुमारी	302 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक भूराराम पुत्र लालाराम मेघवाल से भूखण्ड सं. 9 का पंजीकृत बेचाननामें द्वारा 500 व.ग. भूमि की कय की।	आदेश कमांक 621–24 दिनांक 08. 03.2013 के अनुसार अवार्ड 244/2 निर्मला मालू को अवार्ड जारी किया गया। अवार्ड में भूखण्ड आवंटित नहीं है।
3	जुगाराम पुत्र खिंवजी मेघवाल पट्टा क्रमांक 2277/95 रकबा 1125 व. ग. जमाबंदी में नाम इन्द्राज	श्री संजय कारवानी	302 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक जुगाराम पुत्र खिंवजी मेघवाल से भूखण्ड सं. 163 रकबा 375 व.ग. पंजीकृत बेचाननामें के क्रय की।	आदेश क्रमांक 37–39 दिनांक 02. 08.2013 के अनुसार अवार्ड में नाम जोड़ने का आदेश। परन्तु अवार्ड सं. जारी नहीं।
4	जुगाराम पुत्र खिंवजी मेघवाल पट्टा क्रमांक 2277/95 रकबा 1125 व. ग. जमाबंदी में नाम इन्द्राज	श्रीमती गोपी कारवानी	302 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक जुगाराम पुत्र खिंवजी मेघवाल से भूखण्ड सं. 165 रकबा 375 व.ग. पंजीकृत बेचाननामें के क्रय की।	आदेश क्रमांक 40–42 दिनांक 02. 08.2013 के अनुसार अवार्ड में नाम जोड़ने का आदेश। परन्तु अवार्ड सं. जारी नहीं।
5	जुगाराम पुत्र खिंवजी मेघवाल पट्टा क्रमांक 2277/95 रकबा 1125 व. ग.	श्री ईश्वर कारवानी	302 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक जुगाराम पुत्र	आदेश क्रमांक 43–45 दिनांक 02. 08.2013 के अनुसार अवार्ड में नाम जोड़ने का आदेश। परन्तु अवार्ड सं. जारी नहीं।

26.8.16

	जमाबंदी में नाम इन्द्राज			खिंवजी मेघवाल से भूखण्ड सं. 165 रकबा 375 व.ग. पंजीकृत बेचाननामें के क्रय की।	
6	कमलकिशोर पुत्र रामदयाल बंग ने उक्त भूमि मोहनिया पुत्र घीसा कुम्हार से पंजीकृत बेचाननामें के कय की। पट्टा कमांक 1443/91 रकबा 622.22 व.ग.	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री उमरावसिंह	447/306 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक कमलकिशोर पुत्र रामदयाल से श्री महेन्द्रसिंह ने भूखण्ड सं. 11 रकबा 311.11 वग. जरिये पंजीकृत बेचाननामें के कय किया।	आदेश सं. 1628-31 दिनांक 06.06.2013 के अनुसार अवार्ड में नाम जोड़ा गया। परन्तु भूखण्ड आंवटन नहीं
7	कमलकिशोर पुत्र रामदयाल बंग ने उक्त भूमि मोहनिया पुत्र घीसा कुम्हार से पंजीकृत बेचाननामें के कय की। पट्टा कमांक 1443/91 रकबा 622.22 व.ग.	श्रीमती मधु पत्नी श्री शरद जैन	447/306 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक कमलकिशोर पुत्र रामदयाल से श्रीमती मधु जैन ने भूखण्ड सं. 12 रकबा 311.11 वग. जरिये पंजीकृत बेचाननामें के कय किया।	आदेश सं. 1628-31 दिनांक 06.06.2013 के अनुसार अवार्ड में नाम जोड़ा गया। परन्तु भूखण्ड आंवटन नहीं
8	पोकरराम पुत्र डुंगरजी मेघवाल पट्टा कमांक 2953/13.12.93 रकबा 1333.33 वग	अल्का लखानी पत्नी अशोक लखानी	303 कुड़ी भगतासनी	मूल पट्टाधारक पोकरराम पुत्र डुंगरजी मेघवाल भूखण्ड सं. 158 रकबा 266.66 व.ग. जरिये आममुखत्यार अल्का लखानी पत्नी अशोक लखानी द्वारा क्रय किया गया।	आदेश सं. 1601 दिनांक 27.05.2013 के अनुसार अवार्ड सं. 244 पर नाम जोड़ा गया। परन्तु भूखण्ड आवंटन नहीं
9	पोकरराम पुत्र डुंगरजी	द्रोण लखानी	303 कुड़ी	मूल पट्टाधारक पोकरराम पुत्र	आदेश सं. 1604 दिनांक 27.05.2013

26.8.16

	मेघवाल पट्टा कमांक 2953/13.12. 93 रकबा 1333.33 वग	पुत्र अशोक लखानी	भगतासनी	डुंगरजी मेघवाल भूखण्ड सं. 161 रकबा 266.66 व.ग. जरिये आममुखत्यार द्रोण लखानी पुत्र अशोक लखानी द्वारा क्रय किया गया।	के अनुसार अवार्ड सं. 244/1 में नाम जोड़ा गया। परन्तु भूखण्ड आवंटन नहीं
10	पोकरराम पुत्र डुंगरजी मेघवाल पट्टा कमांक 2953/13.12. 93 रकबा 1333.33 वग	अभिषेक लखानी पुत्र अशोक लखानी	303 कुड़ी भगतासनी	मूल पट्टाधारक पोकरराम पुत्र डुंगरजी मेघवाल भूखण्ड सं. 162 रकबा 266.66 व.ग. जरिये आममुखत्यार अभिषेक लखानी पुत्र अशोक लखानी द्वारा क्रय किया गया।	आदेश सं. 1595 दिनांक 27.05.2013 के अनुसार अवार्ड सं. 244/2 में नाम जोड़ा गया। परन्तु भूखण्ड आवंटन नहीं
11	जोराराम पुत्र नैनाराम पट्टा कमांक 2257/95 रकबा 1000 व. ग.	दिनेश झंवर एवं शंकरदान पुत्र गोरखदान चारण आमुखत्यार नियुक्त दिया।	303 कुड़ी भगतासनी	पट्टाधारक जोराराम पुत्र नैनाराम भूखण्ड सं. 86 रकबा 500 व.ग. का आममुखत्यार दिनेश झंवर को एवं 87 रकबा 500 व.ग. का शंकरदान पुत्र गोरखदान चारण को नियुक्त किया गया।	आदेश सं. 89 दिनांक 23.09.2013 द्वारा अवार्ड में नाम जोड़ा गया। परन्तु भूखण्ड आवंटन नहीं
12	मोहम्मद सरज, मोहम्मद रजाक पुत्रान् अली खां रकबा 00.01.09 बीघा भूधारक का नाम जमाबंदी में है।	मूलचन्द पारख पुत्र समरथमल पारख	281/30 कुड़ी भगतासनी	जमाबंदी में खसरा 281/30 का इन्द्राज है। परन्तु अवार्ड में अंकित होना रह गया। अतः अवार्ड में उक्त खसरा सम्मिलित करने	अवार्ड में नाम परन्तु रकबा नहीं जोड़ा गया।

26.8.16

				बाबत् प्रस्तुत है।	

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त–दक्षिण ने अवगत कराया कि उपरोक्त प्रकरणों में में खातेदारों का नाम अवार्डी के रूप में उपायुक्त–दक्षिण की रिपोर्ट के अनुसार था परन्तु मौके पर केता का कब्जा है एवं उनके द्वारा विक्रय–पत्र पंजीयन सुदा के आधार पर अपने अधीन होने से अवार्डी के स्थान पर अपने नाम भूखण्डों की मांग की जा रही है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणें की जांच के लिए एक अलग से समिति गठित की जावे जो विस्तृत जांच कर मौका देखकर समेकित रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत करें जो बाद अपनी टिप्पणी के सचिव के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करें जिससे कि इस प्रकार के प्रकरणों में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कार्यवाही की जा सके। उपरोक्त कार्य हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:–

1– तहसीलदार–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2– सहायक नगर नियोजक (संबंधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3– कनिष्ठ अभियन्ता–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4– पटवारी–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5– संबंधित अवार्ड लिपिक, विवेक विहार शाखा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रस्ताव संख्या 49 :: विवेक विहार योजना हेतु अवाप्त की गई भूमि के अवार्ड में नाम जोडने के सबंध में। (अवार्ड संख्या भूआ/20/664)

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना हेतु अवाप्त की गई भूमि ग्राम सांगरिया एवं कुड़ी भगतासनी जोधपुर के अंतिम मुआवजे अवार्ड संख्या भुआ/20/664 दिनांक 26.10.2004 को अंतिम अवार्ड जारी हुआ था। जिसमें से खसरों का पूर्ण रकबा अवाप्त किया जा चुका है। परन्तु कारणवश खातेदार व हितबद्ध का नाम अवार्ड सूची में दर्ज नहीं हुआ/नाम जोड़ने के आदेश पश्चात् अवार्ड सं. जारी नहीं/ अवार्ड में नाम जोड़ने पश्चात् भूखण्ड का आवंटन नहीं है। अतः ऐसे प्रकरणों की सूची अवार्ड में नाम जोड़ने/अवार्ड सं. जारी करने/भूखण्ड उपलब्ध करवाने हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक के समक्ष निर्णय हेतु अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

1	चेलाराम पुत्र प्रभुराम द्वारा उक्त भूमि दाखू, चन्दा, भीरा पुत्र गुलाबराम गुलाबराम मूलारम किशोर पुत्र नाथिया वगैरह से कय की गई है। पट्टा क्रमांक 2265/95 रकबा 1500 वग.	श्रीमती प्रेमलता (सत्यनारायण)	302 कुड़ी भगतसानी	पट्टाधारक चेलाराम पुत्र प्रभुराम द्वारा भूखण्ड सं. 01 रकबा 500 व.ग. प्रेमलता पत्नी सत्यनारायण को जरिये अपंजीकृत आम मुखत्यार द्वारा बेचान इकरार किया गया।	अवार्ड में नाम नहीं
2	भवंरलाल पुत्र राजुराम मेघवाल	श्रीमती सुशीला छाबड़ा पत्नी	303 कुड़ी	पट्टाधारक भंवरलाल पुत्र	अवार्ड में

26.8.16

	पट्टा क्रमांक 2297/95 रकबा 1000 वग.	श्री शिवशरण लाल छाबड़ा,	भगतासनी	राजुराम मेघवाल से श्रीमती सुशीला छाबड़ा पत्नी शिवशरण छाबड़ा ने पंजीकृत बेचाननामें से भूखण्ड सं. 127 रकबा 500 व.ग. कय किया गया। पट्टाधारक भंवरलाल पुत्र राजुराम मेघवाल से राजीव छाबड़ा पुत्र शिवशरण लाल छाबड़ा ने पंजीकृत बेचाननामें से भूखण्ड सं. 128 रकबा 500 व.ग. कय किया गया।	नाम नहीं
3	भवंरलाल पुत्र राजुराम मेघवाल पट्टा क्रमांक 2297/95 रकबा 1000 वग.	राजीव छाबड़ा पुत्र शिवशरण लाल छाबड़ा	303 कुड़ी भगतासनी		अवार्ड में नाम नहीं
4	पाबूराम पुत्र छैलाराम द्वारा तारादेवी पत्नी सत्यनारायण सोनी को रकबा 01.10 बीघा का बेचान जमाबंदी में पृथ्वीसिंह पुत्र छगनीराम एवं भंवरलाल पुत्र लालचंद का नाम है।	गजाराम, कालू, पाबुराम पुत्रान् छैलाराम पुनमचन्द पुत्र भगांराम सोनी, शांति देवी पत्नी पूनमचन्द, अनन्तराम पुत्र नारायण राम,	300 कुड़ी भगतासनी	तारादेवी सोनी द्वारा पृथ्वीसिंह पुत्र छगनीराम एवं भवंरलाल पुत्र लालचंद को जरिये पंजीकृत बेचान।	अवार्ड में नाम नहीं।

बैठक में उपायुक्त–दक्षिण ने अवगत कराया कि उपरोक्त 4 आवेदक है जिनका यह कथन है कि इन्होंने जिस व्यक्ति से पट्टा/भूखण्ड अवाप्ति से पूर्व प्राप्त किया था उस व्यक्ति का नाम अन्तर्गत अवार्ड में नाम आने के फलस्वरूप न तो नियमानुसार उन्हें भूमि मिली है और न ही केता को भूमि मिली।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणें की जांच के लिए एक अलग से समिति गठित की जावे जो विस्तृत जांच कर मौका देखकर समेकित रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत करें जो बाद अपनी टिप्पणी के सचिव के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करें जिससे कि इस प्रकार के प्रकरणों में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए कार्यवाही की जा सके। उपरोक्त कार्य हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:–

1– तहसीलदार–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2– सहायक नगर नियोजक (संबंधित), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3– कनिष्ठ अभियन्ता–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

26.8.16

4– पटवारी–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5– संबंधित अवार्ड लिपिक, विवेक विहार शाखा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रस्ताव संख्या 50 :: सरदार पटेल शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटन के संबंध में।

सरदार पटेल शिक्षण संस्थान को तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 27/02/2008 को ग्राम बड़ली के खसरा नं0 88 में 8093.44 वर्गमीटर अर्थात् 05 बीघा भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था एवं इसके पश्चात् संस्थान को आवंटन पत्र जारी कर दिया गया। उक्त भूमि की कुल कीमत तत्समय की आरक्षित दर रूपये 500/– प्रति वर्गमीटर +20% प्रशासनिक शुल्क कुल राशि 48,56,068 का डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया। संस्थान द्वारा उक्त आवंटन राशि की 10% राशि 4,85,606/– तत्कालीन न्यास कोष में जमा कराये गये। संस्था द्वारा आवासीय आरक्षित दर की बजाय संस्थानिक आरक्षित दर पर उक्त आवंटन करने हेतु निवेदन करने पर न्यास द्वारा उक्त प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

राज्य सरकार के पत्रांक 403(631) न0वि0वि0/3/08 दिनांक 3/10/2008 को संस्थान को संस्थानिक आरक्षित दर की 25% दर पर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्समय संस्थान की मूल पत्रावली माथुर आयोग में जांच हेतु भिजवाई गई थी तथा माथुर आयोग से फिर उक्त मूल पत्रावली लोकायुक्त सचिवालय में हस्तांतरित की गई। माथुर आयोग में उक्त मूल पत्रावली भिजवाने के फलस्वरूप न्यास द्वारा उक्त पत्रावली मे कोई कार्रवाही नहीं की गई थी।

दिनांक 10/08/2009 प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष सरदार पटेल शिक्षण संस्थान को उक्त आवंटित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन की सक्षम स्वीकृति नही होने एवं सम्पूर्ण राशि जमा नही करवाने के कारण उक्त आवंटन को क्यो नही निरस्त कर दिया जाये, का एक नोटिस जारी कर दिनांक 28/08/2009 को प्रातः 11 बजे उपस्थित होने हेतु लिखा गया। उक्त नोटिस की पालना में संस्था के अध्यक्ष नियत दिनांक को उपस्थित नही हुये एवं न ही कोई सबूत पेश किये। इसके पश्चात् वकील के मार्फत संस्थान द्वारा दिनांक 10/08/2009 द्वारा दिये गये नोटिस के सम्बन्ध में जवाब प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। दो बार प्राधिकरण द्वारा संस्थान को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। बावजूद इसके संस्थान द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किये गये।

उक्त मूल पत्रावली लोकायुक्त सचिवालय से दिनांक 08/10/2015 प्राधिकरण को प्राप्त हुई। पुनः पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 10/02/2016 को प्राधिकरण द्वारा संस्थान को आवंटन निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया।

दिनांक 27/04/2016 को अध्यक्ष सरदार पटेल शिक्षण संस्थान द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर उपायुक्त (पश्चिम) को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10/02/2016 के क्रम मे जवाब प्रस्तुत किया जिसमे उन्होनें बताया कि राज्य सरकार द्वारा हमारी संस्था को संस्थानिक आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर भूमि आवंटन की स्वीकृति के सम्बन्ध में हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं साथ ही निवेदन किया कि संस्थान द्वारा जो आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई है, उसके उपरान्त संस्थान को शेष राशि जमा करवाने बाबत् आज तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। संस्था पहले भी शेष राशि पूर्ण राशि जमा करवाने को तैयार थी। आज भी पूर्ण राशि जमा करवाने को तैयार है। साथ ही निवेदन किया कि ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 रकबा 5 बीघा का भू–उपयोग परिवर्तन पूर्व में ही परिवर्तित हो चुका है और इस तरह इस प्रकरण में किसी तरह का कोई आक्षेप शेष नहीं है। अतः संस्थानिक आरक्षित दर की शेष पूर्ण राशि जमा कर संस्था के नाम आवंटन पत्र जारी कर कब्जा दिलाया जावे।

26.8.16

चूंकि वर्तमान में उक्त संस्था का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है तथा संस्था पूर्ण राशि जमा करवाने को तैयार है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 27/06/2016 के निर्णय की पालना में पुनः प्रकरण निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था को दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 को आवंटन किया गया था। इस संस्था का पंजीकरण दिनांक 17 नवम्बर, 2004 को किया गया था। उक्त संस्था तत्कालीन नियमों के तहत नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2008 को 8093.44 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर आवंटित की गयी थी। जिस पर संस्था में रियायती दर पर आवंटन के संबंध में निवेदन किया तद्उपरान्त दिनांक 13 अक्टूर, 2008 को राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत संस्थानिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने के निर्देश प्रदान किये। उसके पश्चात् दिनांक 8 अक्टबर, 2009 को मूल पत्रावली राज्य सरकार द्वारा मांग ली गयी जो पुनः दिनांक 23 मार्च, 2012 को लौटायी गयी। इस भूमि का उपरोक्त प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को हुआ था एवं संस्था को दिनांक 10 अगस्त, 2009 को प्रभारी अधिकारी, आवंटन द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह लिखा गया कि बिना भू-उपयोग परिवर्तन के बिना सक्षम स्वीकृति एवं बिना पूर्ण राशि जमा कराये भूमि का आवंटन संस्था द्वारा करवाया गया। जबकि उपरोक्त तिथि दिनांक 10 अगस्त, 2009 से पूर्व ही दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को भू-उपयोग परिवर्तन किया जा चुका था। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त नोटिस प्रभावहीन है। चूंकि संस्था द्वारा अब 25 प्रतिशत संस्थानिक आरक्षित दर (तत्कालीन) पर राशि जमा कराने का अपने पत्र में रियायती चाही है लिहाजा प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर वांछित मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि संस्था से आवंटन के संबंध में किस दर से किस प्रकार राशि वसूल की जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या F 46/Allot Main/ Meeting/ 1802/2 VI Part) के पैरा संख्या 67/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

26.8.16
(अरूण पुरोहित)
सचिव

कमांक/आवंटन/2015/1802-5/3149-3186 — दिनांक 26 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

(अरूण पुरोहित)
सचिव

3149-3186
26-8-2016

परिशिष्ट–क

दिनांक 5 अगस्त, 2016 को प्रातः 11.00 बजे श्री कैलाश चन्द्र मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री श्रीमन मीणा, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
2.	श्री रामचन्द्र मीणा, सहायक उपायुक्त–पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
3.	श्री सुमनेश माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
4.	श्री सुरेश व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5.	श्री आर.एन. विश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6.	श्री अशोक बोराणा, अधिशाषी अभियन्ता (तकनकी सहायक अधीक्षण अभियन्ता) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
7.	श्री गायड सिंह राठौड, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
8.	श्री अमिताभ जोशी, अतिरिक्त रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
9.	श्री बी.के. गोयल, सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
10.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड, प्रबन्धक–यातायात, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11.	श्री अतुल बल रतनू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री संदीप दण्डवते, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री मानाराम पटेल, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री विरेन्द्रसिंह चौधरी, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18.	श्री रघुनाथ गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19.	श्री अनिल लोल, कनिष्ठ लिपिक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
20.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव